साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-30 अंक- 50 10 - 16 दिसंबर 2023 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान फिर भी चुनौतियां बरकरार
पृष्ठ - 6

भारतीय संविधान में संशोधन संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था
पृष्ठ - 7

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम विधानसभा चुनाव 2013

बीजेपी ने मारी बाज़ी

हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में बीजेपी की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हिंदी पट्टी में उसका जादू अभी भी चल रहा है।

लोकतंत्र निहित स्वार्थों और दिग्गजों का ख़ज़ाना है, और इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि जनता की राय किसी को भी यह सुनिश्चित करने की अनुमति नहीं देती है कि उसकी अपनी राय क्या है, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में। किसे वोट देना है या उसने किसे वोट दिया है, इनमें से किसी में भी नहीं जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां न तो बीजेपी को जीत का भरोसा था और न ही कांग्रेस को अपनी जीत का। अब नतीजे आ गए हैं और बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिली है, वहीं राजस्थान ने हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा का पालन करते हुए कांग्रेस से सरकार छीन ली है और बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही देश के प्रमुख राज्य हैं और दोनों का भारतीय राजनीति में बहुत महत्व है। ज़ाहिर तौर पर इन दोनों राज्यों के नतीजों से कांग्रेस और कमजोर होगी, वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा।

कुछ महीने पहले केंद्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव हुए कांग्रेस के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्षी गठबंधन तैयार किया जा रहा था, लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद इस प्रस्तावित विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति निस्संदेह कमज़ोर हो जाएगी। खासकर, कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का जो मनोबल बढ़ा था, वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों से काफी कमजोर हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर, कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी का मनोबल टूट गया है हालांकि, उनकी हालिया सफलता ने उसे और अधिक शक्ति के साथ वापस लाया। खासकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत विश्लेषण का अहम राजनीतिक विषय है। पहली नजर में, भाजपा लगभग दो दशकों से मध्य प्रदेश में सत्ता में है और राजनीतिक पंडित निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे कि उसने इन विधानसभा चुनावों में खुद को कितनी मजबूती से प्रस्तुत किया है। अब अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में खुद को आगे बढ़ाना है तो उसके पास अब अपना प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए।

बहरहाल, मौजूदा हालात में यह तो मानना ही पड़ेगा कि देश का दिल कहे जाने वाले इस सूबे में बीजेपी ने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है और यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि अब राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश भी बीजेपी के लिए एक और नाला बन गया है। इस सफलता के साथ ही बीजेपी की ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। निम्नलिखित इंजन का उपयोग करके मध्य प्रदेश देश के लिए एक मॉडल राज्य बन सकता है और अब इसका पड़ोसी राज्य, छत्तीसगढ़, जो उससे अपेक्षात अधिक विकसित है, भी भाजपा के प्रभाव में आ गया है। इसलिए उनके लिए मध्य प्रदेश पर विशेष ध्यान देना काफी आसान है ताकि देश की मजबूत केंद्रीय सत्ता को भी याद रहे कि उसकी अपनी मूल हिंदी पट्टी अभी भी एक आदर्श विकसित राज्य की प्रतीक्षा कर रही है और शायद। सत्ता सौंपकर लोग यही चाहते हैं बीजेपी को अगर पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे समग्र रूप से देखा जाए तो उससे भी कहीं अधिक सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक सबक़ है। खासकर कुछ नेता जो बढ़-चढ़कर दावे करते हैं उनसे विशेष पाठ सीखते रहते हैं लिया जाना चाहिए।

यहां अगर हम भारत राष्ट्र समिति राष्ट्रपति और तेलंगाना के मुख्यमंत्री उदाहरण के तौर पर शेखर राव को ही लीजिए पता चलेगा कि ये कौन सा नेता आज जमीन से उठ गया वह विभिन्न कमजोरियों से पीड़ित थे। भाई-भतीजावाद से लेकर अहंकार तक देश ने बहुत कुछ देखा है। वह देश के नेता बनना चाहते थे, लेकिन तेलंगाना के लोगों ने उन्हें राज्य पर शासन नहीं करने दिया। इन चुनाव नतीजों से सभी विपक्षी नेताओं को सीख लेनी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि केवल मुफ्त योजनाएं अब जमीनी स्तर के संगठनों और लोगों तक पहुंचने से काम नहीं आएंगी। उनका भरोसा जीतना होगा। अगर हम कुछ देर के लिए तेलंगाना छोड़ दें , हालाँकि, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव नतीजों ने इस बार कोई भविष्यसूचक कहानी नहीं लिखी। यह भारतीय जनता पार्टी की पूरे हिंदी क्षेत्र में पिछले एक दशक से लगातार चल रही विजय यात्रा की ही अगली कड़ी है। यह सही है, पाँच साल इससे पहले पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव हार गई थी, लेकिन कुछ महीने बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबरने में कामयाब रही, जबकि ठीक एक साल बाद उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सत्ता छीन ली। यह सच है कि इस बार बीजेपी ने राजस्थान और असंभव से दिखने वाले छत्तीसगढ़ में भी सत्ता हासिल की है, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि पार्टी ने उस क्षेत्र में अपनी चमक और ताकत स्थापित कर ली है, जो उसका गढ़ है। इन नतीजों ने जो कहानी लिखी उसमें बीजेपी की जीत उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कांग्रेस की हार। कुछ महीने पहले तक कोई नहीं कह रहा था कि इन राज्यों में कांग्रेस जीतेगी, लेकिन लगभग सभी का मानना था कि ये तीन राज्य कांग्रेस के लिए असंभव नहीं हैं। पार्टी जमीन पर भी अपनी पकड़ बना रही थी और कहा जा रहा था कि हवा उसके पक्ष में हो सकती है। पार्टी नेता श्री राहुल गांधी ने स्वयं कहा था कि राजस्थान को लेकर कुछ शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। जाने-माने सर्वे या ओपिनियन पोल भी कुछ ऐसी ही कहानी बता रहे थे। राजस्थान के बारे में बाहर निकलें एग्जिट पोल तक राजस्थान कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था, जबकि छत्तीसगढ़ में पहले दो राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस की वापसी की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अगर हम क्रिकेट का विश्लेषण करें। के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों का उपयोग करें, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने हार छीन ली है जीत के जबड़े से। कांग्रेस की यह हार हमें चुनावी राजनीति के बारे में बहुत कुछ बताती है। हमारा ज़्यादातर चुनावी विश्लेषण हवा की दिशा, जमीनी हालात और चुनावी गणित पर आधारित होता है। निःसंदेह इन सभी की अपनी-अपनी भूमिका है, लेकिन इनकी कुछ सीमाएँ भी हैं। चुनाव में पार्टी संगठन की मजबूती और चुनावी प्रबंधन की भी बड़ी भूमिका होती है।

कांग्रेस संगठन एक समय इसी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था लेकिन अब ये सब इतिहास का हिस्सा बन गया है। ताकत के मामले में बीजेपी बेजोड़ है, हाल के विधानसभा चुनावों में उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। हमेशा की तरह

बाक़ी पेज 11 पर

5 राज्यों के विधान सभा चुनाव के परिणाम

राजस्थान : 200/199		
भाजपा	115	(+44)
कांग्रेस	69	(-39)
अन्य	15	(-44)
मध्य प्रदेश : 230/230		
भाजपा	163	(+36)
कांग्रेस	65	(-30)
अन्य	01	(-6)
छत्तीसगढ़ : 90/90		
भाजपा	54	(+40)
कांग्रेस	35	(-36)
अन्य	01	(-4)
तेलंगाना : 119/119		
कांग्रेस	64	(+45)
बीआरएस	39	(-49)
भाजपा	08	(+7)
अन्य	01	(-3)
मिज़ोरम : 40/40		
जेडपीएम	27	
एमएनएफ	10	
भाजपा	02	
कांग्रेस	01	

मुस्लिम उम्मीदवार जो जीते

1. आरिफ मसऊद	कांग्रेस	मध्य भोपाल	मध्य प्रदेश
2. आतिफ आरिफ अकील	कांग्रेस	उत्तरी भोपाल	मध्य प्रदेश
3. रफीक खान	कांग्रेस	आदर्श नगर	राजस्थान
4. यूनुस खान	आई.एन.डी.	डीडवाना	राजस्थान
5. हकीम अली खान	कांग्रेस	फतहपुर	राजस्थान
6. अमीन कागज़ी	कांग्रेस	किशन पोल	राजस्थान
7. जुबैर खान	कांग्रेस	राम गढ़	राजस्थान
8. मुहम्मद मुबीन	कांग्रेस	बहादुर पुरा	तेलंगाना
9. अकबरुद्दीन ओवैसी	एआईएमआईएम	चंद्रयान गट्टा	तेलंगाना
10. मीर जुलफिकार	एआईएमआईएम	चारमीनार	तेलंगाना
11. कौसर मुहीउद्दीन	एआईएमआईएम	कारवां	तेलंगाना
12. अहमद बिन अबदुल्लाह बिलाला	एआईएमआईएम	मलिक पेट	तेलंगाना
13. मुहम्मद माजिद हुसैन	एआईएमआईएम	नाम पल्ली	तेलंगाना

इस्लामी दुनिया ..... इस्लामी दुनिया ..... इस्लामी दुनिया

मालदीव में बदलाव और भारत

हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के मोहम्मद सोलिह को हराने के बाद संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू ने अब मालदीव के नए राष्ट्रपति की भूमिका संभाल ली है। मालदीव में सत्ता परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश भू-राजनीतिक लिहाज से अहम बन गया है। माना जाता है कि नई सरकार ऐसी नीतियां अपनाएंगी, जो पिछली सरकार से बिल्कुल अलग होंगी। इसका क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत भारत ने मालदीव के नए राष्ट्रपति का सावधानी पूर्वक स्वागत किया है। मोहम्मद मुइज्जू के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भारत की चिंता बढ़ गई है। जब अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे, तब मुइज्जू उनकी सरकार में आवास और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री थे। उस दौरान मालदीव पर चीन का व्यापक प्रभाव देखा गया था। तब चीन के हितों को देखते हुए फैसले लिए गए, जिससे विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू हुई और मालदीव चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) में शामिल हो गया। बाद में आई सोलिह सरकार ने न सिर्फ चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से परहेज किया, बल्कि मालदीव में चीन के विवादास्पद संयुक्त महासागर निगरानी केंद्र की योजना से भी पल्ला झाड़ लिया। यामीन का सबसे विवादास्पद निर्णय द्वीपों को विदेशी देशों को बेचना था। ऐसी आशंका थी कि चीन इन द्वीपों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए करेगा। इससे मालदीव की संप्रभुता से समझौता होने की चिंता बढ़ गई। सौभाग्य से, यामीन अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। विडंबना देखिए कि जिस यामीन ने मालदीव की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया, उसी ने उसकी रक्षा के नाम पर कथित तौर पर 'इंडिया आउट' अभियान चलाया। यामीन ने झूठा दावा किया कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों ने वहां के लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का लाभ उठाकर देश की संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है।

यामीन के 'इंडिया आउट' अभियान के समर्थक मुइज्जू ने इसका चुनावी लाभ उठाया, क्योंकि जेल में होने के कारण यामीन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। चीन से मुइज्जू की निकटता पिछले साल उनके दौरे से स्पष्ट हो गई थी, जब उन्होंने अपने गठबंधन के सत्ता में आने की स्थिति में द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की संभावना जताई थी। इसलिए हैरानी नहीं कि मुइज्जू के चुनाव जीतते ही चीनी राजदूत ने तुरंत उन्हें बधाई दी। यामीन और मुइज्जू की चीन के प्रति निकटता को देखते हुए हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव को कई लोगों ने भारत और चीन की भूमिकाओं पर जनमत संग्रह के रूप में देखा था। चुनाव प्रचार के दौरान मुइज्जू ने मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत- मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत के पक्ष में है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कई बार दोहराया कि पद संभालने के पहले दिन से ही वह - भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए कदम उठाना चाहते हैं। कार्यभार - संभालने से पहले ही उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के साथ इस पर चर्चा की और भारत से मालदीव के ऋण का पुनर्गठन करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस समय भारत मालदीव में करीब 45 बुनियादी परियोजनाओं में शामिल है, जिनमें से पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों की कुछ परियोजनाएं सीधे मालदीव के लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। 'ग्रेटर माले' कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट' जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य पड़ोसी द्वीपों को राजधानी माले से जोड़ना है। हालांकि मुइज्जू ने इस बात की पुष्टि की है कि वह पहले से चल रही भारतीय परियोजनाओं को बाधित नहीं करेंगे, लेकिन अपने इस नजरिये में संभावित विरोधाभास दिखाते हुए उन्होंने समीक्षा का संकेत दिया है। यामीन के राष्ट्रपति काल में जीएमआर जैसी परियोजनाओं को 27 करोड़ डॉलर के मुआवजे के भुगतान के बाद भी अचानक रद्द कर दिया गया था। मुइज्जू ने अब तक केवल ऋण पुनर्भुगतान पर फिर से बातचीत की मांग की है लेकिन भारतीय परियोजनाओं में कोई भी बाधा द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है।

एक दूसरी संभावित चिंता मुइज्जू का सलाफी विचारधारा से करीबी जुड़ाव है, जो द्विपक्षीय रिश्तों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। आईएस लड़ाकों में शामिल होने की बढ़ती संख्या के साथ मालदीव में मज़हबी कट्टरवाद का उदय लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। वास्तव में सोलिह सरकार द्वारा कट्टरवाद के साथ सावधान रवैया ही एमडीपी में विभाजन का एक प्रमुख कारण था।

भारतीय सैनिकों की तैनाती को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले यामीन के साथ मुइज्जू का जुड़ाव वास्तव में भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और जटिल ही बनाने वाला है। मालदीव के विशाल समुद्री क्षेत्र को देखते हुए स्वतंत्र रूप से इसकी सुरक्षा मालदीव के लिए चुनौतीपूर्ण रही है और भारत को ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाले देश के रूप में देखा गया है। वर्ष 2004 की सुनामी और हालिया पेयजल संकट के दौरान सबसे पहले भारत ने ही मालदीव में मदद का हाथ बढ़ाया था। दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। मालदीव के लोग अक्सर चिकित्सा के लिए भारत आते हैं और भारतीय शिक्षक एवं डॉक्टर मालदीव के स्कूलों एवं अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं।

अतीत में मालदीव ने संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाया लेकिन यामीन की सरकार के दौरान यह अपनी राह से भटक गया। इससे चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ाने में मदद मिली। अपने शपथ ग्रहण समारोह में मुइज्जू मे फिर दोहराया कि वह कूटनीतिक तरीकों से भारतीय सैनिकों को हटा देंगे। कुछ लोग इसे मुइज्जू द्वारा मालदीव में भारत की स्थिति को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। हालांकि उनके राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद हुसैन शरीफ ने पद संभालने के बाद पहली बार भारत आने की परंपरा का सम्मान करने और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में किसी बाहरी ताकत की भूमिका नहीं होने देने पर जोर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि कार्यभार संभालने के बाद मुइज्जू का रुख क्या रहने वाला है। ❑❑

पाकिस्तान में नई पटकथा के साथ तैयार पुराने किरदार

आठ फरवरी को मतदान की तारीख़ घोषित होने के साथ ही पाकिस्तान में चुनावी माहौल गरम हो गया है। कहा जा रहा है कि अनुभवी राजनेता नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए सेना की पसंद है। उनके ख़िलाफ दर्ज न्यायिक मामले ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं और सेना समर्थक छोटे दल उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।

हालांकि, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का काम दो चेतावनियों के साथ नत्थी होकर सामने आता है, पहला, नागरिक-सैन्य समीकरण में कोई बदलाव नहीं और दूसरा, सेना और उसके व्यापारिक साम्राज्य सहित पाकिस्तानी अभिजात वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना।

जहां तक पाकिस्तान की बढ़ती आर्थिक समस्याओं का सवाल है, वे एक बहुत बड़े और बेहतर भारत के प्रति उसके प्रतिकूल रवैये का परिणाम हैं। अपने पूरे अस्तित्व में पाकिस्तान अपनी क्षमता से कहीं अधिक बढ़-चढ़कर जीने की प्रवृत्ति का शिकार है, जिसके लिए उसे बाहरी सहायता और उधार पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। नवाज़ शरीफ ने भारत के साथ संबंधों पर सही रुख का प्रदर्शन किया है, न सिर्फ इसलिए कि यह एक आर्थिक अनिवार्यता है, बल्कि इसलिए भी कि वह इसे पाकिस्तानी सियासत में सेना के महत्व को कम करने के लिए ज़रूरी मानते है। वह शायद एकमात्र पाकिस्तानी राजनेता है, जिन्होंने 2013 के चुनाव से पहले एक चुनाव अभियान के दौरान भारत के साथ संबंधों में सुधार के बारे में बार-बार बोलने का साहस जुटाया था। हालांकि, ज़मीन पर अपनी सोच को उतारने की उनकी क्षमता सेना के रुख पर निर्भर रहेगी।

हालांकि, चुनाव लड़ने के योग्य बनने से पहले नवाज शरीफ को अभी कुछ न्यायिक बाधाओं को पार करना होगा। इमरान ख़ान की लोकप्रियता का मुक़ाबला करने के लिए सेना को उनकी जरूरत है, पर उनके पिछले रिकॉर्ड के चलते वह प्रधानमंत्री पद के लिए सेना की पहली पसंद नहीं होंगे। कुछ ऐसे सवाल है, जिनका उत्तर आने वाले दिनों में दिया जा सकता है। क्या वह युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की पुरानी शैली वाली राजनीति को खारिज करते हैं और इमरान खान के प्रति आकर्षित है?

अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ

बाक़ी पेज 11 पर

यह दिल्ली है ..... यह दिल्ली है ..... यह दिल्ली है

2 साल बाद नवंबर में रिकार्ड वर्षा से भी दिल्ली को नहीं मिली साफ हवा

इस वर्ष नवंबर में 2010 के बाद दूसरी बार रिकार्ड वर्षा दर्ज की गई है, बावजूद इसके राजधानी को एक भी दिन साफ हवा नहीं मिल सकी। पिछले दिनों तक माह के 30 दिन के दौरान रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 'खराब', 'बहुत खराब', 'गंभीर' एवं 'अत्यंत गंभीर' श्रेणी में रहा है। 2015 से लेकर 2023 तक नौ साल में यह माह तीसरा सबसे प्रदूषित नवंबर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर की वर्षा ने पिछले 12 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में इस माह अभी तक 17:1 मिलीमीटर बारिश की गई है। यह सामान्य से 195 प्रतिशत ज्यादा है। नवंबर में सामान्य तौर पर 6.0 मिमी वर्षा होती है। इससे पूर्व नवंबर 2010 में 26 मिमी वर्षा हुई थी। पिछले चार साल में तो नवंबर के दौरान दिल्ली में नाममात्र की ही वर्षा हुई। वर्ष 2022 और 2021 में तो पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी थी। जबकि, वर्ष 2020 में 0.6 और वर्ष 2019 में 0.8 मिमी बरसात ही हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार नवंबर में अच्छी खासी वर्षा हुई है। वर्षा के चलते ही इस बार दीवाली का दिन भी पिछले कई वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा साफ रहा था, लेकिन इसे विडंबना ही कहें कि रिकार्ड वर्षा के बाद भी दिल्ली वासी लगभग पूरे माह ही प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर रहे। 'अच्छी', 'संतोषजनक' और 'मध्यम' श्रेणी के एक्यूआइ वाला एक भी दिन नहीं रहा, 'खराब' श्रेणी के दिन भी घट गए। मतलब, पूरे माह अधिकांश दिन या तो 'बहुत खराब' श्रेणी वाले रहे या 'गंभीर' श्रेणी वाले।

सीपीसीबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार औसत एयर इंडेक्स की बात करें तो वर्ष 2015 में यह 358, 2016 में 374, 2017 में 361, 2018 में 335, 2019 में 312, 2020 में 328, 2021 में 377, 2022 में 321 और 2023 में 30 दिनों का 372 दर्ज किया गया है। यानी कि 2021 के बाद इस साल नवंबर का औसत एयर इंडेक्स सबसे अधिक रहा है।

देश में महिलाओं की ज़िन्दगी की डोर पुरुषो। से 3.1 साल लंबी

देश में महिलाओं की जीने की औसत उम्र (जीवन प्रत्याशा) पुरुषों से 3.1 साल अधिक हो गई है। आजादी के बाद 30 साल तक महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम रही लेकिन पिछले 40 साल में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से लगातार बढ़ रही है। 50 के दशक में जीवन प्रत्याशा 42 साल थी। अब यह 72 साल पार है। 1950 में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 40.83, पुरुषों की 42.6 साल थी। % शेष पेज 10 पर जीवन प्रत्याशा में भारत 195 देशों में 126 वें स्थान पर है। दुनिया में महिलाओं व पुरुषों के बीच जीवन प्रत्याशा अंतर 5-10 साल है। रूस में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से 10 साल अधिक है। एशिया में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा हॉन्गकॉन्ग में 85.88 साल है, यहां महिलाओं की 88.66 और पुरुषों की 83 साल है। दुनिया भर में यूरोप के छोटे से देश मोनेको में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा 87 साल है।

जीवन प्रत्याशा 1980 के बाद लगातार बढ़ी

वर्ष	औसत आय	पुरुष	महिला
2023	70.5	73.6	72
2020	68.6	71.8	70.2
2015	68.3	71.1	69.2
2010	65.3	68.6	66.9
2005	63.7	66.4	65.0
2000	61.8	63.6	62.7
1995	59.9	61.4	60.6
1990	57.9	59.5	58.7
1985	55.8	56.9	56.3
1980	53.5	53.7	53.6

संपादकीय

शांति मिशन

भुखमरी फैलाने का ज़िम्मेदार कौन?

भारत में हमारे शासक आए दिन यह ख़ुशखबरी देते रहते हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है जिसका साफ मतलब है कि भारत आर्थिक, आर्थिक और खाद्य विकास के लक्ष्य को हासिल करने के काफी करीब है। वहीं हाल ही में जो संयुक्त की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। वर्ल्ड वाइड रिमेल्फ से यह स्पष्ट है कि हम भोजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से अभी भी बहुत पीछे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हम विश्व के एक सौ इक्कीस देशों में एक सौ सातवें स्थान पर हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में हम 125 देशों में 111वें स्थान पर खड़े नज़र आ रहे हैं।

ये आंकड़े और विश्लेषण बताते हैं कि हम अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हमने आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित करने का गौरव भले ही हासिल कर लिया हो, लेकिन ग्लोबल और डेलावेयर ग्लोबल मार्केट के ताजा आंकड़े बताते हैं कि समग्र रूप से हम देश को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में अभी भी बहुत पीछे हैं। वर्ष 2022 के दौरान दुनिया के 21 देशों में सातवें स्थान पर रहा भारत, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 25 देशों में सातवें स्थान पर है।

भूख सूचकांक में, जो भूख के विभिन्न आयामों को दर्शाता है, प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है जो चार संख्याओं को जोड़ती है जो भूख की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का जीएचआई स्कोर 280 भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के बच्चों में कुपोषण की दर 7180: है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइल्ड वेस्टिंग में वे बच्चे शामिल हैं जिनका वजन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ता या कुपोषण, डायरिया, सांस की बीमारियों आदि के कारण वजन कम हो जाता है। रिपोर्ट में कुपोषण की दर 6.16 फीसदी पांच है।

एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की सूचना मिली है और यह दर 31: बताई गई है। पंद्रह सेकेली का प्रसार 58 प्रतिशत था। डेटा की सटीकता पर निश्चित रूप से सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन अन्य पोषण सर्वेक्षण इस बात से सहमत नहीं दिखते कि स्थिति अच्छी है। भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-2020 के अनुसार, बाल हानि की दर लगभग 780 प्रतिशत थी, जिसमें 35.5 प्रतिशत बच्चे अविकसित थे। विश्व रिपोर्ट 2023 में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के अनुसार, भारत की अल्पपोषण दर 6,600 या प्रतिशत है। जनवरी 2023 तक पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के अनुमान पर संयुक्त अंतर-एजेंसी समूह 31 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु दर 31: है।

दरअसल, व्यापक ग़रीबी और सामाजिक-आर्थिक असमानता भारत में भूख का मुख्य कारण है, जिसके कारण देश को पर्याप्त भोजन सहित उपलब्ध भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। 2018 में आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उन्नीस करोड़ लोगों को दिन में तीन बार भोजन नहीं मिलता था। 2022 में यह संख्या बढ़कर 35 करोड़ हो जाएगी। गरीबी स्तर में सुधार के बावजूद देश के 14 करोड़ लोग रात में भूखे सोते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अपर्याप्त भोजन के कारण 60 मिलियन लोग बीमार हो सकते हैं। ' ईट राइट इंडिया मूवमेंट पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाएगा। हालाँकि, खाद्य वितरण और आपूर्ति श्रृंखला के तहत, खाद्य प्रकार की प्रणाली या तो अवरुद्ध है या निष्क्रिय है और इस प्रकार प्रबंधन और सहायता प्रणाली प्रदान करने में असमर्थ है। वंचित लोगों तक भोजन की पहुंच में असमान वितरण और निम्न गुणवत्ता से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लिंग भेदभाव, अशिक्षा, जागरूकता के कारण महिलाओं और लड़कियों के लिए पौष्टिक भोजन की पर्याप्त पहुंच का अभाव एनीमिया के मुख्य कारण हैं। अधिकतर चौबीस वर्ष की महिलाओं में रक्त निस्संदेह, बदलती जलवायु परिस्थितियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी आदि खाद्य उत्पादन को प्रभावित करते हैं, लेकिन देश की पिछड़ी कृषि पद्धतियाँ, असंगठित विपणन, असंतोषजनक भंडारण प्रणाली भी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की हानि के लिए कम ज़िम्मेदार नहीं हैं। आंतरिक झगड़ों में उलझे देशों द्वारा बनाई गई खतरनाक स्थितियाँ भी हर तरह से कुपोषण में योगदान करती हैं। अगर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाए तो खाना खाने में कई लोगों की भूमिका पर हमला किया जाएगा। भोजन को भगवान मानने वाली भारत भूमि में एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 137 ग्राम और प्रति वर्ष 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। भोजन की बर्बादी के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यहां हर साल 6087 मिलियन टन खाना बर्बाद हो जाता है, जिसकी अनुमानित कीमत 92 हजार करोड़ रुपए है। भूख से जूझ रही दुनिया में 2019 के दौरान 69 मिलियन टन भोजन को कूड़े में फेंकने की प्रक्रिया को समाप्त करें क्या नाम दिया जा सकता है? खाद्य वितरण प्रणाली पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना समय की मांग है। भूख की समस्या के समाधान के लिए सरकारी तंत्र को विपणन व्यवस्था और भंडारण की स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो। प्रवेश प्रशीतन संस्थान के अनुसार, यदि विकासशील देशों के पास विकसित देशों के समान बुनियादी ढांचा होता, तो वे दो सौ मिलियन पाउंड भोजन, या अपनी खाद्य आपूर्ति का लगभग चौदह प्रतिशत, भूख और कुपोषण से बचा सकते थे। दूर करने में मदद मिलेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पर्याप्त पोषण के साथ-साथ संतुलित आहार को भी शामिल करना महत्वपूर्ण है। मोबाइल पोषण क्लीनिक जैसी सुविधाओं के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य मूल्यांकन, पोषण परामर्श और पोषण गुणवत्ता प्रदान करने के लिए दूरदराज और वंचित क्षेत्रों का दौरा करने से निश्चित रूप से कुपोषण में कमी आएगी। ज्वार के उत्पादन एवं वितरण को बढ़ावा देकर प्रचुर पोषण का लाभ उठाया जा सकता है। पौष्टिक भोजन हर जीवन का अधिकार है। व्यक्तिगत या प्रशासनिक स्तर पर किसी के अधिकारों से खिलवाड़ करना मानवीय दृष्टिकोण से गंभीर अपराध है। जीवन-मरण का देशों को यह भी समझना होगा कि केवल उपजाऊ भूमि पर ही अन्न उत्पादन संभव, बंजर भूमि नष्ट वे देते है। आख़िर खाना आपकी थाली में ही रह गया जाने से पहले उन अपरिचित चेहरों को क्यों याद करें? जो अक्सर कूड़े में नहीं रहते चलो पता करते हैं! क्या हम जानबूझकर हैं? अनजाने में 80 करोड़ लोगों का हिस्सा छीनने के जुर्म में वह शामिल? कृपया इसके बारे में सोचें और हल निकालें। ❑❑

तारीख़े इस्लाम

सिरतुन्नबी स.अ.स. पर लिखी गई सबसे तफ़्सीली किताब

अर-रहीक़ुल मख़्तूम

लेखकः मौलाना सफीउर्रहमान मुबारकपुरी किस्त 32

इस तरह आप और हज़रत हमजा दोहरे दूध शरीक भाई हो गए, एक सुवैबा के ताल्लुक़ से और दूसरे बनू साद की उस औरत के ताल्लुक़ से। दूध पिलाने के दौरान हज़रत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बरकत के ऐसे-ऐसे .श्य देखे कि पूरी तरह चकित रह गईं। विवरण उन्हीं के मुख से सुनिए।

इब्ने इस्हाक़ कहते हैं कि हज़रत हलीमा बयान किया करती थीं कि वह अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के क़ाफिले में अपने नगर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की खोज में निकलीं। ये भुखमरी के दिन थे और अकाल ने कुछ बाक़ी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊंटनी थी, लेकिन, ख़ुदा की क़सम ! उससे एक बूंद दूध न निकलता था। इधर भूख से बच्चा इतना बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे, न मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, न ऊंटनी उसका भोजन दे सकती थी, बस हम वर्षा और समृद्धि की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वह कमजोरी और दुबलेपन की वजह से इतनी सुस्त रतार निकली कि पूरा क़ाफिला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की खोज में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी, जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्ल. को पेश न किया गया हो, पर जब उसे बताया जाता कि आप यतीम हैं, तो वह आपको लेने से इंकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के बाप से दान-दक्षिणा की आशा रखते हैं। हम कहते कि यह तो यतीम हैं, भला इसकी विधवा मां और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे । इधर जितनी औरतें मेरे साथ आई थीं, सबको कोई न कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझ ही को न मिल सका। जब वापसी की बारी आई, तो मैंने अपने शौहर से कहा, ख़ुदा की क़सम ! मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले-लेकर जाएं और अकेली मैं कोई बच्चा लिए बिना वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को लिए लेती हूं। शौहर ने कहा, कोई हरज नहीं। मुम्किन है अल्लाह हमारे लिए इसी में बकरत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और सिर्फ इस वजह से ले लिया कि कोई और बच्चा न मिल सका।

हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपनी गोद में रखा, तो उसने जितना चाहा, दोनों सीने दूध के साथ उस पर उमंड पड़े और उसने पेट भर कर पिया। उसके साथ उसके भाई ने भी पेट भर कर पिया, दोनों सो गये, हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर ऊंटनी दूहने गए, तो देखा कि उसका थन दूध से भरा हुआ है। उन्होंने इतना दूध दूहा कि हम दोनों ने खूब जी भर कर पिया और बड़े आराम से रात गुजरी ।

इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा ! ख़ुदा की क़सम ! तुमने एक बरकत वाली रूह हासिल की है।

मैंने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है।

हलीमा कहती हैं कि इसके बाद हमारा क़ाफिला आगे बढ़ा। मैं अपनी उसी कमजोर गधी पर सवार हुई और उस बच्चे को भी अपने साथ लिया, लेकिन अब वही गधी ख़ुदा की क़सम ! पूरे क़ाफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा उसका साथ न पकड़ सका, यहां तक कि मेरी सहेलियां मुझसे कहने लगीं-

ओ अबू जुवैब की बेटी ! अरे यह क्या ? तनिक हम पर मेहरबानी कर! आखिर यह तेरी वही गधी तो है, जिस पर तू सवार होकर आई थी।

मैं कहती, श्हां, हां, ख़ुदा की क़सम ! यह वही है।

वे कहती, श्इसका यक़ीनन कोई खास मामला है।

फिर हम बनू साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की धरती का कोई भाग हमारे इलाक़े से ज़्यादा भुखमरी का शिकार था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जातीं तो पेट भरी हुईं और दूध से भरपूर वापस आतीं। हम दूहते और पीते, जबकि किसी और व्यक्ति को दूध की एक बूंद भी नसीब न होती। इनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही न था, यहां तक कि हमारी क़ौम के लोग अपने चरवाहों से कहते कि भाग्यहीनो ! जानवर वहीं चराने ले जाया करो, जहां अबू जुवैब की बेटी का चरवाहा ले जाया करता है.लेकिन तब भी उनकी बकरियां भूखी वापस आतीं। उनके अन्दर एक बूंद दूध न रहता, जबकि मेरी बकरियां पेट भरी और दूध से भरपूर वापस आतीं। इस तरह हम अल्लाह की ओर से बराबर बढ़ोत्तरी और भलाई देखते रहे, यहां तक कि इस बच्चे के दो साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़ा दिया। यह बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि दो साल पूरे होते-होते वह कड़ा और गठीला हो गया। इसके बाद हम इस बच्चे को उसकी मां के पास ले गए। लेकिन हम उसकी जो बरकत देखते आए थे, उसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वह हमारे पास रहे, चुनांचे हमने उसकी मां से बातचीत की। (जारी)

इंटरव्यूह ..... इंटरव्यूह

हमने प्लेटफॉर्मों को डीपफेक के लिए चेतावनी दी है : राजीव चंद्रशेखर

समूचे देश में डीपफेक का खतरा बढ़ने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना-प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर से से मोदी सरकार की चिंताओं, उठाए गए कदमों और संबंधित कानूनों में संशोधनों के बारे में बातचीत हुई, प्रस्तुत है इस बातचीत के अंश।

प्रश्नः- हाल में पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीपफेक के खतरे के प्रति आगाह किया. खतरा कितना बड़ा है और हमें इसकी चिंता क्यों होनी चाहिए?

उत्तरः- हम सरकार में कुछ समय से एक परेशान करने वाली घटना में इजाफे से वाकिफ हैं, जो मोटे तौर पर उथल-पुथल और अस्थिरत पैदा करने के मकसद से गलत सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी सूचना को हथियार बनाने की कोशिश है. हमने सरकार का यह मिशन बना लिया है कि हमारी सभी नीतियां सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट के पक्ष में हों. साइबर अपराधों ने एक मायने में पहले की उस धारणा को उलट दिया है कि इंटरनेट और प्रौद्योगिकी भले के लिए है. जब आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सभी समस्याओं को आंकते हैं और फिर उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के आविष्कार से जोड़ते हैं, तो आने वाले तूफान की आशंका उभर आती है जो भारी तबाही ला सकता है एआइ और फर्जी खबरों के घालमेल से डीपफेक की यह घटना ऐसी है जिसके लेकर हम सभी को चिंतित होना चाहिए क्योंकि यह लोगों, समाजों, समुदायों और देशों के लिए भारी विघटनकारी है. हमें माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और राष्ट्रीय जागरूकता पैदा की. हमने पिछले दो वर्षों में फर्जी खबरों के खिलाफ नियम-कानून बनाने की कोशिश की है।

प्रश्नः- 2024 का आम चुनाव सामने है. डीपफेक से राजनैतिक दलों को क्या खतरा हो सकता है?

उत्तर :-देखिए, फर्ज़ी खबरें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बड़ी चुनौती हैं. डीपफेक लोगों को गुमराह करने का बहुत ही खतरनाक तरीका है, जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को तवज्जो देने लगे हैं. राजनैतिक ध्रुवीकरण और झूठ की राजनीति में लिप्त बहुत-से लोगों के मद्देनज़र कल्पना करें कि वह क्या गुल खिला सकता है. यह दरअसल ऐसी माचिस की डिब्बी है, जो भावनाएं भड़काने की चिंगारी है और ऐसी आग भड़का सकती है जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते इसलिए, फर्जी ख़बरों के औज़ारों का जो इस्तेमाल पहले एक समस्या हुआकरती थी, अब डीपफेक के साथ उसका अलग आयाम और पैमाना खुल गया है।

प्रश्न :-सरकार फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या करने को कह रही है?

उत्तर :-इन मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे आगे रही है. हमने फरवरी, 2021, अक्तूबर, 2022 और फिर अप्रैल, 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी कानून के नियमों में संशोधन किया है. इन सभी में इंटरनेट की सुरक्षा और भारोसे की बात की गई. यह इन सभी प्लेटफॉर्मों पर जिम्मेदारी तय करने का दायित्व डालता है कि उनके प्लेटफॉर्मों पर ऑनलाइन सामग्री गलत या फर्जी खबर नहीं है. लेकिन नियम 3.1बी के तहत 11 मुद्दे ऐसे हैं जिसे वे अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं दे सकते. इनमें मसलन, बाल यौन शोषण सामग्री या ऐसी सामग्री शामिल है जो लोगों को भड़का सकती है. इसके 3.1बी (1) के नियम कहते हैं कि फर्जी खबर, सरासर गलत जानकारी, उनके प्लेटफॉर्म पर नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो उन पर कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि उन्हें जो सुरक्षा कवच, एवं जो सुरक्षा उन्हें हासिल है, वह खत्म हो जाएगी।

प्रश्न :-वह कौन-सा सुरक्षा कवच था जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले दिया गया था?

उत्तर :-एक बात हमें समझनी है कि वह कानून जो इंटरनेट और इसलिए इन प्लेटफॉर्मों पर लागू होता है, वह पुराना कानून है जो 2020 में लागू हुआ. 2009 में आइटी कानून में किए गए संशोधनों में से एक अमेरिकी मॉडल की अंधी नकल में धारा 79 का प्रावधान किया गया था, जो हर इंटरनेट प्लेटफॉर्म को किसी भी प्रकार के मुकदमे से सुरक्षा कवच प्रदान करता है. उस समय यह नैरेटिव था कि ये प्लेटफॉर्म किसी सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि कुछ यूजर ऐसा करते हैं. इसलिए, अगर किसी पर मुकदमा चलाना है, तो यूजर पर चलाया जाए, न कि प्लेटफॉर्म पर. लेकिन उस सुरक्षा की वजह से प्लेटफॉर्मो में अच्छे रवैए या अच्छे आचरण का दायित्व नहीं रह गया है. तो, अब हम इन जहरीली बातों को देखते हैं, और सरकार, दुर्भाग्य से, प्लेटफॉर्म और यूजर के बीच हर विवाद की मध्यस्थ बनकर रह गई है। अब नए आइटी नियमों के मुताबिक, हम कहते हैं कि यह सुरक्षा कवच सशर्त है, और उन पर 11 तरह की सामग्री पर गौर करने की शर्त है, जो वे अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दे सकते हैं. और अब जिस तरीके से हम डोपफेक पर लगाम लगाएंगे, वह अप्रैल 2023 में लागू किए गए नियमों के मुताबिक है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर डीपफेक है, चाहे वह मैसेंजर प्लेटफॉर्म हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब उसे इसकी सूचना दी जाती है, तो उसके पास इसे हटाने के लिए 36 घंटे का समय होता है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका सुरक्षा कवच समाप्त हो जाता है, जो भी पीड़ित है वह उन्हें अदालत में ले जा सकता है और आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) और आइटी अधिनियम के तहत उन पर आपराधिक मुकदमा चला सकता है. हमने इन प्लेटफॉर्मों से कहा है कि हम डीपफेक और फर्जी खबर को बहुत ही गंभीर खतरा और सुरक्षा तथा उस भरोसे के खिलाफ मानते हैं जिसके लिए, हमारे हिसाब से, हम देश के लोगों और देश के इंटरनेट यूजरों के प्रति जवाबदेह हैं. और हम डीपफेक के हर मामले में, यह तय करने में संकोच नहीं करेंगे कि सुरक्षा कवच को हटाने वाला नियम 7 पर अमल किया जाए, ताकि उससे जो भी आदमी या संगठन पीड़ित हो, वह उसके खिलाफ मुकदमा अदालत में ले जा सके।

प्रश्न :-सरकार इस खतरे को रोकने के लिए और क्या करेगी?

उत्तर :-सरकार के पास एक मानक संचालन प्रक्रिया है. हम एक फैक्ट चेक इकाई बनाना चाहते थे जो उद्योग, प्लेटफॉर्मों को यह जानने में मदद करेगी कि क्या ग़लत है और क्या सही है. नियम पहले ही लागू और अधिसूचित किए जा चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ हलकों से मुंबई अदालत में चुनौती दी गई है. उनका दावा है कि यह स्वतंत्रता का उल्लंघन है. हमें उम्मीद है कि अदालत हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगी।

प्रश्न :-चिंता यह है कि सरकार इसका इस्तेमाल खबरों के प्रवाह पर लगाम लगाने के लिए करेगी और इसके बजाए इसके लिए कोई स्वतंत्र प्राधिकरण होना चाहिए।

उत्तर :-फिर, दुर्भाग्य से, और मैं इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम उसे स्वतंत्रता और कुछ प्रकार की सेंसरशिप के विरोधाभास के रूप में देखते हैं. यह सच नहीं है. हमारे संविधान के अनुच्छेद 19.2 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है, जो जवाहरलाल नेहरू के समय में अनुच्छेद 19 में संशोधन करने वालों ने लगाए हैं. तो, इसलिए, भारत में, अमेरिका के विपरीत, फर्स्ट अमेंडमेंट फ्री स्पीच कोई निरंकुश, बिना शर्त अधिकार नहीं है। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप बोली की आजादी के नाम पर नहीं कह सकते और हमारी नीति 19.2 के अनुरूप है. यह वास्तव में यह तय करने के बारे में है कि देश में इंटरनेट की सुरक्षा और भरोसे के लिए स्पष्ट वर्तमान खतरा डीपफेक, फर्जी खबरों से ऐसे तरीके से निबटा जाए, जिसमें प्लेटफॉर्म को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए, सरकार की ओर से नहीं, कानून के तहत डीपफेक या गलत सूचना से पीड़ित कोई भी उनके खिलाफ अदालत में जा सकता है।

प्रश्न :-क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इससे निबटने के लिए खुद का आंतरिक तंत्र विकसित कर रहे हैं?

उत्तर :-एआइ ऐसी चीज है जो भारी विघटनकारी है, वह समूचे परिदृश्य को बदल रही है और नई कसौटियां बना रही है. चाहे आप फेसबुक हों या ट्विटर या गूगल या यूट्यूब, हर कोई नई एआइ ताकत के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है. इसलिए, मैं उन्हें संदेह का लाभ दूंगा. हम दुश्मन नहीं हैं. हम प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी में काम करेंगे. लेकिन हम शर्तिया यह दोहराना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसे (मुद्दा) सिर्फ राजनैतिक चश्मे से नहीं उठाया है, कि अगर आप इस खतरे को बिना किसी पुलिसिया लगाम या बिना किसी नियम-कायदे के छोड़ देते हैं तो यह परिवारों के भीतर, समुदायों के भीतर, गांव के भीतर और शहर के भीतर बड़ा व्यवधान पैदा कर सकता है।

प्रश्न :-डीपफेक बनाने की तकनीक उपलब्ध है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनकी पहचान की कोई तकनीक विकसित कर रहे हैं?

उत्तर :-टेक्नोलॉजी की ख़ूबी यह है कि इनोवेशन होगा और उसके अपने ख़तरे भी होंगे. फिर, नए ख़तरों पर लगाम लगाने की तकनीक अगला इनोवेशन होगा. तो, यह हमेशा लुका-छिपी का खेल है. हमेशा ही टेक्नोलॉजी रूपी दैत्य की यही फितरत रही है। आज फर्क यह है कि एआइ का असर तेजी से फैल रहा है, ऐसी रफ्तार से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. इसका असर इतना गहरा, इतना व्यापक और इसका इस्तेमाल इतना आसान है कि जिस गति से यह चल रहा है, उससे सभी लोग, एक तरह से, अनजान हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म भी अपने खुद के टूल के साथ टेक्नोलॉजी को पकड़ने के लिए पागलपन से काम कर रहे हैं. हम इन प्लेटफॉर्मों के साथ काम करेंगे और हम प्रधानमंत्री के संदेश को प्रशस्त करने के लिए स्पष्ट कर देंगे कि यह ऐसा मुद्दा है जिसमें ढिलाई नहीं बरती जा सकती. हमें फौरी काम करने की जरूरत होगी. हमें इस बाबत पक्का मकसद तय करना होगा और वास्तविक, स्पष्ट परिणामों की समझ रखनी होगी कि कौन-सी तकनीक, कौन-से उपकरण लगाए जाएंगे और जवाबदेही का नियामक ढांचा क्या होगा। आने वाले हफ्तों में यह सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए।

प्रश्न :-प्रधानमंत्री ने दूसरी बात यह कही कि सोशल मीडिया से डीपफेक का लेबल लगवाया जाए?

उत्तर :-यह दिलचस्प समस्या है जिसे अब प्लेटफॉर्मों को हल करना होगा. इन प्लेटफॉर्मों के साथ समस्या यह है कि उन्होंने गैर-जिम्मेदार होने का खुलेआम तूफान जैसा मज़ा लिया है. एक तो सुरक्षा कवच है, और दूसरे, दिलचस्प बात यह है कि वे अपने प्लेटफॉर्मों के गुमनाम उपयोग की अनुमति देते हैं. वे कहते हैं कि 'हम जिम्मेदार नहीं हैं' लेकिन, साथ ही वे प्लेटफॉर्म के गुमनाम उपयोग की छूट देते हैं. तो, साइबरस्पेस या इंटरनेट की दुनिया में गजब दिलचस्प जगह थी, जहां कानून नहीं पहुंच सकते थे और बुरे रवैए का कोई नतीजा नहीं भुगतना होता था. उसे बदल दिया गया है. अब हम यह कह रहे हैं कि बुरे रवैए और बुरे कार्यों के नतीजे भुगतने होंगे. डीपफेक शर्तिया खराब आचरण और बुरे कार्यों को जाहिर करने का नंगी आंखों से दिखने वाला तरीका है। इसलिए, या तो उन पर डीपफेल्क के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, या वे यूजरों के लिए अधिक उचित कसौटी को व्यवस्था बनाएंगे, इसमें यूजरों को प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि सेवा की शर्तों के अनुसार, हम अनिवार्य करते हैं कि जब आप संशोधित वीडियो बनाते हैं, तो आप उसे लेबल करें. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी गर्दन पकड़ी जाएगी. इसलिए, एक तरह से, अपने नियमों और कानूनों के माध्यम से, हम प्लेटफॉर्मों की ओर से अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इन प्लेटफॉर्मों को यह आश्वस्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वे यूजरों के काम पर नजर रखने में सक्षम हैं और यूजरों के खराब आचरण को लेबल करें और चिह्नित करें. फिलहाल आप जानते हैं, यह सभी के लिए मुफ्त है. वे सभी कमाई, पैमाने और आकार का खुला आनंद लेते हैं, और उनका मानना है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है. 2021 के बाद से, इसे बहुत व्यवस्थित रूप से बदल दिया गया है।

प्रश्न :-डीपफेक पर कानून में संशोधन के बारे में क्या है?

उत्तर :-डीपफेक के मायने फर्जी खबरें हैं जिनसे डिजिटल इंडिया कानून के जरिए निबटा जाएगा, जो फिलहाल समीक्षा के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल इंडिया कानून निश्चित रूप से 2000 के आइटी कानून का उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। यह इंटरनेट की आधुनिक चुनौतियों, बिचौलियों की विविधता तथा जटिलता और टेक्नोलॉजी की उभरती चुनौतियों से निबटने के लिए काफी प्रासंगिक होगा।

प्रश्न :-और यह नया डिजिटल कानून कब बनेगा?

उत्तर :-प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि हम जल्दबाज़ी में कानून नहीं बनाते हैं, लेकिन हम इस पर परामर्श की प्रक्रिया जरूर पूरी करेंगे. हमने पहले ही कम से कम तीन दौर के परामर्श किए हैं. इनोवेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ-साथ एआइ और अन्य क्षेत्रों से आने वाली कुछ चुनौतियों के संदर्भ में हमने जो मसौदा तैयार किया है, उस पर बहुत आम सहमति है तो, निश्चित रूप से, नया कानून आने ही वाला है।

प्रश्न :-आगामी आइटी कानून में आप किन चीजों में बदलाव करना चाह रहे हैं?

उत्तर :-जब आइटी कानून बना, तो इंटरनेट बड़ी मासूम जगह थी, यह ऐसी जगह थी जहां तकनीकी-आशावाद का आदर्श था. हमने उसे भलाई की जगह के

बाक़ी पेज 11 पर

मिज़ान ..... राजेश बादल

कहां गई वह जनाधार और सरोकारों वाली पीढ़ी

भारतीय लोकतंत्र अब परिपक्व हो रहा है। संसार में थोड़ी-थोड़ी धाक भी जमने लगी है। नई पीढ़ी ने अपनी प्रतिभा के बूते कमोबेश सभी देशों में अपने हुनर, कौशल और ज्ञान से अलग पहचान बनाई है तो दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण भी हिंदुस्तान को बड़े तथा ताकतवर मुल्कों की श्रेणी में रखा जाने लगा है। एक औसत भारतीय निश्चित रूप से इस पर गर्व कर सकता है। संदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के बाद जो खुशी आजादी की मिली थी, अब वैसी ही प्रसन्नता आम भारतीय महसूस कर सकता है। मौजूदा हालात उसे इस बात की इजाजत देते हैं कि बिखरते समाज और चटकते रिश्तों के इस दौर में कुछ तो है, जिसे हमने बचा रखा है। परदेस में मिलने वाली इज्ज़त हमें कंधे चौड़े रखने का अवसर देती है लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है, जो बीते दशकों में हमने खोया है। इसका अहसास कोई विदेशी नहीं कर सकता और एकदम नई नस्ल का कोई नुमाइंदा भी नहीं कर सकता। इसकी वजह यह कि उसने उस दौर को नहीं जिया है, जिस भारतीय समाज की साख समूची दुनिया में रही है।

स्वतंत्रता के बाद भारत के अस्तित्व को लेकर बड़ी शंकाएं जताई गई थीं। अंतरराष्ट्रीय लेखकों, इतिहासकारों, कूटनीति के जानकारों और राजनयिकों तक ने भारत में लोकतंत्र के भविष्य पर अनेक सवाल उठाए थे। गोरे विद्वान कहते थे कि आज़ाद होने के बाद भारत धीरे-धीरे बिखर जाएगा। वे मानते थे कि सदियों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा देश अब अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत खो चुका है। थोड़े ही समय बाद लोकतंत्र का भाव कहीं खो जाएगा और यह देश बिखर जाएगा।

ऐसी सोच रखने वालों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भी थे। वे कहते थे कि भारत के राजनेताओं को सत्ता सौंपते हुए हम यह स्पष्ट जानते हैं कि यह तिनकों के पुतले हैं। कुछ वर्षों में ही इनका नामोनिशान तक नहीं रहेगा। जाने-माने अमेरिकी पत्रकार सेलिग हैरिसन के एक चर्चित लेख में कहा गया था कि देखने वाली बात ये है कि आजाद भारत जिंदा भी. रह पाएगा या नहीं? मैक्सवेल ने कहा था कि भारत को एक लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में विकसित करने का प्रयोग नाकाम हो गया है। अंग्रेज विद्वान जॉन स्ट्रेच ने लिखा था कि न तो भारत नाम का कोई देश पहले था और न कभी भविष्य में होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत इन सारी धारणाओं को धता बताते हुए शनैः शनैः आगे बढ़ता गया है। चुनाव दर चुनाव यह धारणा और पुख़्ता होती गई है कि हमारी मज़बूत संवैधानिक लोकतांत्रिक नींव के बिना यह संभव नहीं था। कितने लोगों को याद होगा कि स्वतंत्रता के पांच साल बाद इस देश में चुनाव हुए थे। लेकिन उन पांच सालों में हिंदुस्तान की एक ऐसी सरकार काम कर रही थी, जो सिर्फ कांग्रेसी नहीं थी। उसी सरकार ने दरअसल आज के भारत की नींव डाली थी।

भले ही कांग्रेस के जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे लेकिन उनके बारह मंत्री मजहब और दलीय विचारधारा से ऊपर उठकर काम कर रहे थे। उसमें पांच प्रतिनिधि ऐसे थे, जिनका कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं था। वो सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नेहरू के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते थे। - ऐसी उदारता और सहिष्णुता बेमिसाल है। इनमें से एक थे संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबासाहब आंबेडकर। उनके अलावा हिंदू महासभा के श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पंथिक पार्टी के बलदेव सिंह भी नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। यह सभी प्रधानमंत्री के मुखर आलोचक थे लेकिन राष्ट्र निर्माण में उन्होंने तमाम मतभेदों को भूलकर काम किया था।

उसी अवधि में देश की इस पहली राष्ट्रीय सरकार ने लोकतंत्र की प्रतीक संस्थाओं का विराट जाल बिछाने का महत्वपूर्ण काम किया था। यह देखकर वास्तव में आश्चर्य होता है कि आज भारत को महाशक्ति में बदलने वाली वही संस्थाएं हैं, जो आजादी के बाद बनाई गई थीं। प्रधानमंत्री नेहरू मानते थे कि भारत जैसे धार्मिक और परंपरावादी देश में सबसे बड़ी चुनौती उसे आधुनिक बनाने की है। इसके लिए प्रजातंत्र की जड़ों को नए सिरे से मजबूत करना जरूरी था। आज विश्व में भारतीय लोकतंत्र की साख है तो इसके पीछे उन्हीं संस्थाओं का योगदान है। फिर ऐसा क्या हुआ, जो हमारे तंत्र में कुछ पीछे छूटता रहा और हमें उसके चटकने का अहसास भी नहीं हुआ? हमने इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के ढांचे को कमजोर किया और सरोकारों वाले स्वप्नदर्शी नेतृत्व को हाशिये पर पहुंचा दिया। आज ईमानदार, योग्य और साधनहीन नेताओं की हमारे तंत्र में कोई संभावना नहीं है इसलिए मज़बूत जनाधार वाले नेता धीरे-धीरे समाप्त होते गए और राजनीतिक दल चुनाव आते ही सार्वजनिक रूप से कहने लगे कि वे केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देंगे। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि आज पुनाव जीतने के लिए धन बल और बाहुबल ही आवश्यक है। प्रतिभा और काबिलियत के लिए कोई स्थान नहीं है। जनाधार वाले नेताओं का वह दौर भी हमने देखा है, जब केवल नेता का नाम सुनते ही कई कई किमी दूर से लोग उनको सुनने के लिए आते थे। आज स्थिति उलट है।

सभाओं में श्रोताओं को लाने के लिए लंच बॉक्स और पांच सौ का नोट लगता है। लाने-ले जाने की सवारी अलग से जरूरी है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा था कि उन दिनों गांधीजी की सभा में बीस-बीस किमी से लोग पैदल आते थे। एक दिन पहले अपना भोजन पोटली में बांधकर लाते थे। उन दिनों न टीवी था, न इंटरनेट और न टेलीफोन। यह जनाधार और लोगों के दिलों में स्थान था। मैं नहीं कहता कि आज सियासत में सारे नेता गांधी हो जाएं, लेकिन यह तो देखना ही लगा कि अपने कार्यों से राजनेता अवाम के दिल में इतनी साख पैदा करें कि मतदाता स्वतःस्फूर्त नेताजी को सुनने के लिए पहुंचें। यह तभी हो सकता है जब सियासत सेवा बने, धंधा नहीं। ❑❑

रोज़गार .....

बैंकिंग के नए दौर में बढ़ रहे हैं अवसर

किसी भी ग्रेजुएट के लिए बैंक में जॉब मिलना सपने के पूरा होने जैसा है। लेकिन परंपरागत बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो यहां प्रतियोगी परीक्षाएं इस सेक्टर में एक मौका पाने की राह में बड़ी चुनौती साबित होती है। हालांकि परंपरागत बैंकिंग अभी भी युवाओं की खास पसंद है, वहीं तकनीकी मंच पर बैंकिंग कर रही संस्थाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और इसमें नियोबैंक्स और डिजिटल बैंक के नए बैंकिंग क्षेत्र शामिल हुए हैं। इनमें बैंकिंग की समझ रखने वाले ग्रेजुएट्स सही अपस्किलिंग करके अपने लिए मौके तलाश सकते हैं।

क्या है डिजिटल और नियो बैंकिंग

डिजिटल बैंकिंग : जब से फाइनेशियल टेक्नोलॉजी की कंपनियां उभरीं, तब से वक्त की जरूरत को भांपते हुए परंपरागत बैंकिंग की संस्थाओं को भी बैंकिंग के डिजिटल मंच पर आना पड़ा। इस प्रकार नेट बैंकिंग जैसी व्यवस्थाएं प्रचलित हुईं। इसमें ऑटोमेटेड प्रक्रियाएं जोड़ी गईं, जिसे डिजिटल बैंकिंग कहा जाता है। अब डिजिटल बैंकिंग में वे दोनों तरह के बैंक शामिल हैं, जो एक शाखा के तौर पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या फिर पूरी तरह डिजिटल तकनीक आधारित बैकिंग कर रहे हैं। इस तरह एक डिजिटल बैंकर मोबाइल बैकिंग के माध्यम से नए उपभोक्ता बनाने, अपने बैंक के वित्तीय उत्पादों की जानकारी और प्रचार अभियान का हिस्सा बनता है।

नियो बैंकिंग : ये ऐसे बैंक हैं, जो पूरी तरह सिर्फ ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं और माइक्रोफाइनेंस, एग्रीकल्चर या इंटरनेशनल बैंकिंग जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। भारत में 50 से ज्यादा नियो बैंक्स काम कर रहे हैं। जैसे रेजरपेएक्स, ओपन, इंस्टापे, फाई मनी आदि।

वित्तीय लेन-देन की समझ जरूरी

बैकिंग के डिजिटल मंचों पर काम करने के लिए एक ओर फाइनेंस और कॉमर्स की समझ होना जरूरी है, तो दूसरी ओर स्किल्स भी चाहिए होंगे।

ये तकनीकी स्किल्स आते हैं काम

डिजिटल बैंकिंग से संबंधित : डिजिटल बैकिंग की तकनीक, जैसे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑनलाइन बैकिंग सिस्टम्स और फिनटेक सॉल्यूशंस आदि की जानकारी होना मदद करेगा।

प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट से संबंधित : डेटा आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए पायथन, आर, एसक्यूएल आदि का स्किल। और डिजिटल बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन करने के लिए विविध क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर काम करने का स्किल। इसके अलावा भी ऑनलाइन कम्यूनिकेशन सर्विसिंग, यूजर एक्सपीरिएंस, यूजर इंटरफेस, आदि के स्किल आपके लिए अतिरिक्त जरूरी योग्यता साबित होंगे।

डेटा विजुअलाइजेशन और डिजिटल बैंकिंग में साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकी स्किल्स से संबंधित, जैसे कीब्लॉकचेन, डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस, रिस्क मैनेजमेंट आदि।

कहां से सीखें : इसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, जो आपकी मदद करेंगे, जैसे उडेमी, कोर्सेरा, एडएक्स, गूगल गैराज आदि।

क्या हो रोडमैप

फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन करें। डिजिटल बैकिंग, डेटा एनालिटिक्स या फिनटेक के कोर्स करें। इस तरह आप डिजिटल बैंकिंग में जरूरी तकनीक से लैस होंगे।

किसी डिजिटल बैंकिंग मंच पर इंटर्नशिप करें। यह और अच्छा होगा कि किसी परंपरागत बैंक में काम करके डिजिटल बैंक की ओर जाएं। इस तरह आपकी पकड़ बढ़ेगी।

इतनी तरह का होता है काम

डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट मैनेजर, बैंकिंग एनालिस्ट बैंकिंग टेक्नोलॉजिस्ट, डिजिटल बैंकिंग मार्केटिअर फ्रॉड एंड रिस्क एनालिस्ट, मार्केटिंग एंड कस्टमर केयर, डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर, यूएक्स और यूआई डिजाइनर

ऑनलाइन कोर्स

डिजिटल बैंकिंग बिजनेस मॉडल-एडएक्स पर एसबीआई के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग 2023 मास्टर क्लास एंड इंट्रोडक्शन टु फिनटेक-उडेमी फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग - ग्रेट लर्निंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन रिटेल बैंकिंग ..

कोर्स के प्रमुख स्रोत

बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इमार्टिकस लर्निंग, मनीपाल ग्लोबल अकादमी ऑफ बैंकिंग, उडेमी, 'आप एमबीए हैं या सामान्य ग्रेजुएट इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लगातार खुद को अपग्रेड करते हुए बैंक के लिए आप जितना फायदेमंद साबित होंगे, आपके करियर के लिए उतना बेहतर रहेगा। इस तरह आपके मौके बढ़ेंगे।'

बैंक भी कराते हैं कोर्स

देखने में आ रहा है कि आजकल एक्सिस, येस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक किसी विश्वविद्यालय से टाईअप करके बैंकिंग के पाठ्यक्रम करा रहे हैं। चूंकि बैंक में कई तरह के काम होते हैं, जैसे कस्टमर डीलिंग, सेल्स, लोन सेक्शन आदि तो आप इन कोर्स से, इनमें से किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं।

ग्लोबल अवसर भी

अब ग्लोबल बैंकिंग की अपनी दुनिया है। इसमें मौकों के लिए किसी विदेशी भाषा पर पकड़ बनाना जरूरी है। जैसे अरबी भाषा के जानकारों को खाड़ी देशों में, तो फ्रेंच भाषा से कनाडा एवं फ्रांस, जर्मन भाषा से जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के बैंकों में नौकरी मिल सकती है।

व्यावहारिक जानकारी लें

बैंक में काम करने के लिए अगर आप खुद को तैयार करना चाहते हैं, तो आप निचले स्तर से शुरुआत करें। पढ़ाई के साथ-साथ एग्जीबिशन में स्टॉल पर काम करें। यहां आपको बातचीत करने का तरीका पता चलेगा और आपकी झिझक भी दूर होगी। आप किसी ऐसे कॉल सेंटर में पहले कुछ समय जॉब कर लें, जहां बैंकिंग सेक्टर से जुड़े मसले निपटाए जाते हैं। ❑❑

इस्लामी दुनिया

ईरान ने जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा

तेहरान : ईरान ने कहा कि उसने आने वाले वर्षों में मानव मिशन की तैयारी के तहत एक 'कैप्सूल' में जानवरों को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'इरना' ने दूरसंचार मंत्री ईसा जारेपुर के हवाले से कहा कि कैप्सूल को कक्षा में 130 किलोमीटर प्रक्षेपित किया गया। जारेपुर ने कहा कि 500 किलोग्राम वजनी कैप्सूल के प्रक्षेपण का उद्देश्य आने वाले वर्षों में ईरानी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। उन्होंने यह नहीं बताया कि कैप्सूल में किस तरह के जानवर थे। ईरान उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण की घोषणा करता रहता है। सितंबर में, ईरान ने कहा कि उसने आंकड़े एकत्र करने वाला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है।

इजराइली सेना छोड़ेगी हमास की सुरंगों में पानी

गाजा पट्टी : सुरंगों में छुपे हमास के लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए इजराइली सेना ने इन सुरंगों में समुद्र का पानी छोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए इजराइली सेना ने अल-शाती शरणार्थी शिविर से एक मील उत्तर में समुद्र के किनारे पर पांच पम्प सैट लगा दिए हैं। इन पम्पों के जरिए समुद्र से हजारों क्यूबिक पानी 300 मील में फैले हमास के सुरंग नेटवर्क में भरा जाएगा। यह काम कुछ हफ्ते तक लगातार जारी रहेगा। भूमध्य सागर का पानी जब इन सुरंगों में भरेगा तो इनमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। इजराइली डिफेंस फोर्स ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं, इनमें इजराइली सैनिक गाजा के रेतीले तटों पर पाइप लाइन बिछा रहे हैं।

भारतीय हज यात्रियों की सुविधा के उपाय कर रहा सऊदी अरब

सऊदी अरब ने हज और उमरा के लिए मक्का जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं के वास्ते सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के मद्देनजर वीजा प्रसंस्करण और अन्य सहायता कार्यों में सुधार जैसे कई परिवर्तनकारी उपाय शुरू किए हैं। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल-रबिया ने यह जानकारी दी। अल-रबिया ने कहा कि विशेष रूप से भारतीय हज यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए यह पहल की गई हैं। इससे विशेष रूप से उन महिला श्रद्धालुओं को लाभ होगा, जो अकेले इस तीर्थयात्रा पर जाना चाहती हैं। सऊदी के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उमरा के लिए वीजा को 90 दिनों तक बढ़ाने और चार-दिवसीय पारगमन वीजा की शुरूआत जैसे नए कदम भारतीय तीर्थयात्रियों की बढ़ती आमद को समायोजित करने के लिए तैयार किए गए हैं।

दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान फिर भी चुनौतियां बरकरार

आशीप सिन्हा

26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान लोकतंत्र के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो अनेकता में एकता की आकांक्षाओं और मूल्यों को दशार्ता है। अपने मूल में, संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रतीक है, जो शासन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है और देश के सामाजिक- राजनीतिक परिदृश्य का मार्गदर्शन करता है। 73 साल बाद आज हम भारतीय संविधान की व्याख्या यहां पर तीन खण्डों में कर रहे हैं- पहला खण्ड- भारतीय संविधान की विशेषताएँ क्या है, दूसरा खण्ड- भारतीय संविधान के सामने चुनौतियां क्या हैं और भारतीय संविधान को कम और कैसे संशोधित किया जाता है और कितनी बार संशोधित हो चुका है : भारतीय संविधान की विशेषताएं भारतीय संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया भर के अन्य संविधानों से अलग करती हैं। यहां भारतीय संविधान की प्रमुख मुख्य विशेषताएं हैं: सबसे लंबा लिखित संविधानः भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें कानूनों और सिद्धांतों का एक व्यापक रोट शामिल है।

प्रस्तावनाः प्रस्तावना संविधान के सार और उद्देश्यों को समाहित करती है, जिसमें मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर जोर दिया गया है। एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणालीः भारत एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ एक संघीय संरचना को अपनाता है। यद्यपि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करता है, लेकिन आपात स्थिति के दौरान इसका झुकाव एकात्मक प्रणाली की ओर अधिक होता है।

संसदीय लोकतंत्रः सरकार संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलती है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख और प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। इसमें संसद के दो सदन शामिल हैं- लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)।

मौलिक अधिकारः संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी)रू डीपीएसपी सामाजिक न्याय, कल्याण और एक न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार के लिए दिशानिर्देश हैं।.. हालांकि ये अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये शासन के लिए मौलिक सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका का दावा करता है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, इसकी व्याख्या सुनिश्चित करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। संशोधन की गुंजाइश के साथ कठोर संविधानः संविधान अपनी औपचारिक संशोधन प्रक्रिया में कठोर है, जिसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह संशोधनों के माध्यम से बदलती परिस्थितियों के अनुकूल लचीलापन भी सुनिश्चित करता है। धर्मनिरपेक्षताः भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को कायम रखता है, सभी धर्मो के प्रति राज्य की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। एकल नागरिकता कुछ संघीय प्रणालियों के विपरीत, भारत पूरे देश के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करता है, चाहे ये किसी भी राज्य के हों।

आपातकालीन प्रावधानः संविधान में राष्ट्रीय आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति और वितीय आपात स्थिति सहित राष्ट्रीय संकट की स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। वे प्रमुख विशेषताएं सामुहिक रूप से भारतीय संविधान की रीढ़ हैं, जो शासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करती हैं।

भारतीय संविधान की चुनौतियां भारत का संविधान, एक व्यापक और दूरदर्शी दस्तावेज होने के बावजूद, इसके कार्यान्वयन और समसामयिक मुझे कई चुनौतियों का सामना करता है। भारतीय संविधान के सामने आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं और चुनोतियाँ शामिल सामाजिक आर्थिक असमानताएँरू भारत महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक असमानताओं से जूझ रहा है, जिसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अपसरों तक पहुँच में असमानताएँ शामिल हैं। इन अंतरों को पाटना और सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।

जाति-आधारित भेदभावः संवैधानिक प्रावधानों और सकारात्मक कार्रवाई उपायों द के बावजूद जाति-आधारित भेदभाव अभी भी विभिन्न रूपों में जारी है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सामाजिक गतिशीलता और अवसरों को प्रभावित करता है।

लेगिक असमानताः भारत में महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव, शिक्षा तक सीमित पहुंच, आर्थिक अवसर और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। जबकि संविधान लैंगिक समानता की गारंटी देता है, सामाजिक हरिकोण और के गहरी जड़ें जमा चुके सांस्कृतिक मानदंड सच्ची लैंगिक समानता हासिल करने में चुनौतियां पैदा करते रहते हैं।

धर्मनिरपेक्षता को चुनौतियांः सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक ध्रुवीकरण और रखना और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखना महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।

न्यायिक बैकलॉग और व्याया पहुंचः भारतीय न्यायपालिका को बड़े पैमाने पर लबित मामलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। न्याय तक पहुंच, विशेष रूप से हाशिए पर सहने वाले समुदायों और सीमित संसाधनों वाले लोगों के लिए, एक चुनौती बनी हुई है। पर्यावरण संबंधी चिंताएँरू तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षरण महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करते हैं। संवैधानिक ढांचे के भीतर पर्यावरणीय स्थिरता के साथ विकासात्मक आवश्यकताओं भने संतुलित करना एक सतत चुनौती है। तकनीकी प्रगति और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: प्रौद्योगिकी का आगमन गोपनीयता अधिकारों के लिए नई चुनौतियों लाता है। डिजिटल युग में बेटा सुरक्षा, निगरानी और व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित चुनौतियां खड़ी करते हैं जिन्हें संवैधानिक ढांचे के भीतर संबोधित करने की आवश्यकता है।

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध : सत्ता के केंद्रीकरण और विद्रीकरण के बीच संतुलन बनाना एक सतत चुनौती बनी हुई, है। संसाधन आवंटन, क्षेत्रीय स्वायत्तता और केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष से संबंधित मुद्दों को अक्सर संवैधानिक ढांचे के भीतर सावधानीपूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विधायी सुधारी, प्रभावी नीति कार्यान्वयन, सामाजिक जागरुकता और संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबंद्धता सहित ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। संविधान के उद्देश्यों करे प्रभावी ढंग से साकार करने के लिए सभी हितधारकों-नागरिकों, सरकार, नागरिक समाज और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।❑❑

भारतीय संविधान से जुड़े प्रमुख तथ्य

26 नवम्बर को देश में प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि वैसे तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था लेकिन इसे स्वीकृत 26 नवम्बर 1949 को ही कर लिया गया था। डा. भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण ही भारत का संविधान ऐसेरूप में सामने आया, जिसे दुनिया के कई अन्य देशों ने भी अपनाया। वर्ष 2015 में डा. अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष में पहली बार देश में 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इस साल हम 74वां संविधान दिवस मना रहे हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान प्रारूप समिति की बैठकें 114 दिनों तक चली थी और संविधान के निर्माण में करीब तीन वर्ष का समय लगा था। संविधान के निर्माण कार्य पर करीब 64 लाख रुपये खर्च हुए थे और इसके निर्माण कार्य में कुल 7635 सूचनाओं पर राना चर्चा की गई थी। मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन के जरिये सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28), संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30) तथा संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 32) शामिल हैं। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है और संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि इनमें संशोधन भी हो सकता है तथा राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान से जुड़े रोचक तथ्यों पर नज़र डालें तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी रोचक बात यही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविध

बाक़ी पेज 11 पर

भारतीय संविधान में संशोधन

संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था

स्मारकी दस्तावेज विश्वस्तर पर सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें 22 भाग और प्रारंभ में 448 अनुच्छेद शामिल है। यह बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल बलने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है। 1951 में पहली भार लागू होने के बाद से अगरत 2023 तक भारत के संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं।

भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधन होते हैं जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होते हैं। पहले प्रकार के संशोधनों में में संशोधन शामिल हैं जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के संशोधनों में ये संशोधन निर्धारित षविशेष बहुमत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और प्रकार के संशोधनों में से संशोधन शामिल हैं जिनके लिए संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे षविशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती हैनिक संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है (कुछ संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं के बहुमत द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है), भारतीय संविधान दुनिया में सबसे अधिक संशोधित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान सरकारी शक्तियों को इतने विस्तार से रेखांकित करता है कि अन्य लोकतंत्रों में कानून द्वारा संबोधित कई मामलों को भारत में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, संविधान में वर्ष में लगभग दो बार संशोधन किया जाता है। संविधान के मूल में भाग में निहित मौलिक अधिकार हैं, जो प्रत्येक नागरिक को आवश्यक स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के ख़िलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं, सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकारों का पूरक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जिन्हें भाग कर में व्यक्त किया गया है। हालाँकि इन सिद्धांतों को अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और मानव गरिमा के अनुरूप जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली - नीतियों को निर्देशित करके एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

भारत की शासन संरचना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलती है। राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख के रूप में, और प्रधान मंत्री, सरकार के प्रमुख के रूप में, राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। संसद, दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, कानून और नीतिगत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार विधायी निकाय बनाती है। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, जिसका काम सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, इसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है और कानून के शासन को क़ायम रखती है।

धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी गारंट देता है और सभी धर्मो के प्रति राज्य की निष्पक्षता को बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा, संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जो सभी नागरिकों के लिए उनके मूल राज्य की परवाह किए बिना समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करता है। इसमें कुछ राज्यों के लिए उनके अद्वितीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। आपातकालीन प्रावधान संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल जैसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं।

भारतीय संविधान, अपने व्यापक और समावेशी ढांचे के साथ, देश के शासन की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है और प्रगति और समावेशी विकास की दिशा में भारत की यात्रा का मार्गदर्शन करता है। है। सात दशकों में इसका विकास भारतीय लोकतंत्र की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को दशार्ता है, जो इसे देश की पहचान और आकांक्षाओं की आधारशिला बनाता है।

समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) : राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की सिफारिश करता है। हालाँकि, इस तरह के कोड के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में संविधान में कोई विशिष्ट निर्देश या विस्तृत रूपरेखा प्रदान नहीं की गई है।

अंतर-राज्य जल विवाद: जबकि संविधान में अंतर-राज्य नदी जल विवादों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण (अनुच्छेद 262) के गठन का उल्लेख है, लेकिन ऐसे विवादों को हल करने के लिए प्रक्रियाओं और विस्तृत तंत्रों को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं किया गया है। इससे व्यावहारिक कार्यान्वयन में विभिन्न विवाद और चुनौतियाँ पैदा हुई हैं।

जनसंख्या नियंत्रण: भारत में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चिंता होने के बावजूद, जनसंख्या नियंत्रण उपायों के संबंध में संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

निजता का अधिकार: हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत विभिन्न अन्य अधिकारों से उत्पन्न मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, लेकिन न्यायिक व्याख्या में हस्तक्षेप होने तक निजता के अधिकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसके बाद, केस कानून के माध्यम से निजता का अधिकार स्थापित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण: जबकि संविधान राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का आदेश देता है (अनुच्छेद 48ए), पर्यावरण संरक्षण कानूनों या नीतियों का विवरण देने वाले विशिष्ट प्रावधानों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार: संविधान में स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार का उल्लेख नहीं है, हालांकि अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) जैसे विभिन्न अनुच्छेदों की न्यायपालिका द्वारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को शामिल करने के लिए व्याख्या की गई है।

आर्थिक सुधार: संविधान विशिष्ट आर्थिक सुधारों या नीतियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश या सिद्धांत प्रदान नहीं करता है। आर्थिक नीतियां और सुधार आमतौर पर सरकार के कार्यकारी कार्यों और विधायी उपायों द्वारा निर्धारित होते हैं।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 : सितंबर 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द करके सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। इस धारा ने पहले समलैंगिक संबंधों को अपराध माना था। न्यायालय ने घोषणा की कि सहमति से वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अवैध नहीं हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम: अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वें संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली को एनजेएसी से बदलने की मांग की गई थी। न्यायालय ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली की प्रधानता को बरकरार रखा।

आधार अधिनियम : सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 के कुछ प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया। आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आधार को बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से जोड़ना अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। इसने निजी संस्थाओं द्वारा आधार डेटा के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया।

निजता का अधिकार: अगस्त 2017 में एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित मौलिक अधिकार घोषित किया। इस निर्णय ने गोपनीयता के मुद्दों से संबंधित विभिन्न कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों को प्रभावित किया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम: न्यायालय ने, कई मामलों में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के संबंध में व्याख्या की है और दिशानिर्देश प्रदान किए हैं, भूमि अधिग्रहण के लिए शर्तें तय की हैं और प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजे और पुनर्वास पर सक्रिय।

आपातकालीन प्रावधान संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल जैसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान, अपने व्यापक और समावेशी ढांचे के साथ, देश के शासन की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है और प्रगति और समावेशी विकास की दिशा में भारत की यात्रा का मार्गदर्शन करता है। है। सात दशकों में इसका विकास भारतीय लोकतंत्र की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को दशार्ता है, जो इसे देश की पहचान और आकांक्षाओं की आधारशिला बनाता है।

ख़ास ख़बरें

हज के लिए 20 दिसम्बर है आखिरी तारीख

नई दिल्ली: हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज-2024 फार्म भरने की घोषणा के बाद 4 दिसम्बर से हज फार्म भरना शुरू किया जा चुका है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यालय में अब तक लगभग 100 से अधिक हज फार्म भरे जा चुके हैं। इस बीच आज हज कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां ने फार्म भरने के लिये उपस्थित हज आवेदकों से मुलाकात की और उन्हें दी जा रही सुविधाओं को जायजा लिया। कौसर जहां ने इस संबंध में हज आवेदकों से यह भी कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में हज पर जाने के इच्छुक व्यक्तियों को इस की जानकारी दें और यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आए तो दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यालय से संपर्क करें उसका हल किया जाएगा।

ड्रोन हमले में मरने वालों की संख्या 85 हुई

लागोस: नाइजीरियाई सेना के ड्रोन से उत्तर पश्चिमी कडूना राज्य में सशस्त्र समूहों को निशाना बनाकर किये गए हमले में गलती से कम से कम 85 नागरिकों की मौत हो गयी है। देश की सबसे घातक सैन्य बमबारी दुर्घटनाओं में से एक पर जबरदस्त आक्रोश फैल गया। राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। सेना ने स्वीकार किया कि उसके एक ड्रोन से रविवार को तुदुन बीरी गांव पर गलती से हमला हो गया।

एशियाई देशों को सस्ते में फ्यूल बेचेगा सऊदी अरब

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बड़ी गिरावट आई है। कच्चे तेल की कीमतें घटकर 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस 1.06 फीसदी की गिरावट के साथ 76.51 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि डब्ल्यू.टी.आई. क्रूड 1 फीसदी की गिरावट के साथ 71.60 डालर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए कई लोक-लुभावनें फैसले ले सकता है।

महिला का शव चूहों के कुतरने के मामले की जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के शवगृह में रखे एक महिला के शव को चूहों द्वारा कुतरने के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. इम्तियाज अहमद ने बुधवार को बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव मैलार की महिला अनुभा यादव (21) ने दो दिसंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने रात करीब 11 बजे बिना शव को बिना सील किये शवगृह में रखवा दिया और इसी दौरान शव के चेहरे को चूहों ने कुतर दिया।

इस्लामियात

दुआ तासीर रखती है

जब इंसान हर तरफ से परेशान हो जाता है और उसको कहीं सहारा नज़र नहीं आता तो व दुआ करता है और इसी में उसे कुछ आसरा नज़र आता है, इस तरह के हालात सभी के साथ पेश आते हैं। बहुत मर्तबा ऐसा भी देखा है कि जब जिस मर्ज़ से डॉक्टर भी आजिज़ आ जाते हैं दुआ से वह मरीज़ भी ठीक हो जाते हैं, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ''दुआ मोमिन का हथियार है'' इस से अपना- अपना बचाव भी हो जाता है और फतेह भी हासिल हो जाती है। यह भी फरमाया कि ''दुआ इबादत है'' अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िर होना उसकी रुबूबियत और किबरियाई का इक़रार करते हुए निदामत और पशेमानी के साथ उसकी बारगाह में इख़लास के साथ पेश होना किसी इबादत से कम नहीं है। घमण्ड, तकब्बुर और ग़ुरूर इन्सान को बारगाहे इलाही से दूर कर देता है, आजिज़ी, इन्केसारी और तवाज़ो (नम्रता) उसे पसंद है। अकड़ किस बात की? हमारे पास जो भी है उसी का दिया हुआ है। हमारा अपना कुछ नहीं है जब वह चाहे हमें नवाज़े और जब चाहे हम से नेमतें वापस ले ले। इस में हमारा कोई दख़ल ही नहीं है। तीन चार साल पहले रमज़ानुल मुबारक के माह में बहुत ही भयानक ज़लज़ला आया था। सुबह सेहरी के वक़्त यह ज़लज़ले के झटके आए, ज़रा सी देर में शहर के शहर तबाह हो गये। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के कई इलाक़े इस की जद (चपेट) में आ गए। इसकी शिद्दत इतनी थी कि ज़मीन में बड़ी-बड़ी दराड़ें पड़ गईं थीं, इतनी गहरी जैसे बड़ी-बड़ी नहरें या खाईयां होती हैं। हजारहा लोग आनन-फानन में शहीद हो गए और जो ज़िन्दा बचे थे वह एक-एक गिलास पानी और एक-एक रोटी को तरस रहे थे। किसे पता था क्या होने वाला है। वही होता है जो मंज़ूरे ख़ुदा होता है।

इस तबाही का मंज़र (दृश्य) देखा नहीं जा रहा था। रमज़ानुल मुबारक के पवित्र दिन और यह ख़ौफनाक तबाही या अल्लाह! हर हाल में तेरी नई शान है। देखने वालों ने बताया कि वह लोग जो बहुत मालदार थे, लाखों रुपये सदक़ा ख़ैरात में खर्च कर दिया करते थे, जिन की दौलत का कोई शुमार नहीं था इस तबाही के बाद वह भी इम्दाद के लिये लाइनों में लगे हुए थे और एक-एक रोटी के टुकड़े के लिये तरस रहे थे। अल्लाह तआला ऐसी आज़माइश कभी किसी पर न लाए। इसीलिये फरमाया कि ''दुआ इबादत का मग़ज़ है'' अल्लाह को दो क़तरे बहुत पसंद हैं। एक तो वह जो अल्लाह की राह में निकले और दूसरा वह जो एकांत (तन्हाई) में इबादत करते वक़्त आंख से आंसू बन कर निकले। आज माद्दी (भौतिकवादी) दुनिया में लोगों को इस की क़दर नहीं है। हर एक मस्त है, अल्लाह की नेमतें बरस रही हैं और लोग इसे भूले हुए हैं। हमारे आमाल ऐसे होने चाहिएं कि कुबूल होने के क़ाबिल हों, जिनमें इख़्लास हो, जिस में ख़ालिस ईमानी जज़्बा हो, हर एक के लिये मुहब्बत और नेक जज़्बा हो, हसद, कीना, बुग्ज़ व इनाद (हसद, जलन दुश्मनी) इबादतों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को दीमक जैसे लोहे को जंग, जैसे गेहूं को घुन। अफसोस यह है कि आज हर एक इस का शिकार है इल्ला माशाअल्लाह! हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दुआ की तासीर और कुबूलियत के बारे में एक क़िस्सा बयान फरमाया जो नसीहतों से लबरेज़ (भरपूर) है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया : पिछली क़ौमों में तीन मुसाफिर थे जो पहाड़ी पर सफर कर रहे थे। अचानक सख़्त बारिश और तूफान आया। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर हम कहीं रुक जाएं, तूफान हलका

हमारे आमाल ऐसे होने चाहिएं कि कुबूल होने के क़ाबिल हों, जिनमें इख़्लास हो, जिसमें ख़ालिस ईमानी जज़्बा हो, हर एक के लिये मुहब्बत और नेक जज़्बा हो, हसद, कीना, बुग्ज़ व इनाद इबादतों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को दीमक जैसे लोहे को जंग, जैसे गेहूं को घुन। अफसोस यह है कि आज हर एक इसका शिकार है। हुज़ूर ने दुआ की तासीर और कुबूलियत के बारे में एक क़िस्सा बयान फरमाया जो नसीहतों से लबरेज़ है।

होगा तो चले जाएंगे। उन्होंने ग़ार (गुफा) में पनाह ले ली। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ी चट्टान फिसल कर नीचे गिरी और ग़ार के मुंह पर फिट हो गई। यह तीनों मुसाफिर उसी में बन्द हो गए। जंगल बयाबान, लकदक मैदान वहां वह किसे पुकारें, किसे बुलाएं। अगर मोबाईल फोन होता तो शायद कुछ काम आ जाता। वह तीनों बेहद परेशान हुए और उन्हें अपनी मौत नज़र आने लगी। उन्होंने उस चट्टान को हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं हटी। उन्होंने मश्वरा किया और तय किया कि परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए वही मदद कर सकता है और वही हमें बचा सकता है। तीनों ने ग़ौर किया कि हमारा कौन सा कर्म ऐसा है जिस को अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करें और दुआ करें। एक शख़्स ने कहा ऐ परवरदिगार! मेरे बूढ़े मां बाप हैं, मेरी बीची बच्चे हैं। मैं एक मज़दूर और ग़रीब शख़्स हूं दिनभर मेहनत करता और जो कमा कर लाता रात को सब की ख़िदमत करता। बकरी का दूध दुहता और अपने मां-बाप को पिलाता। बीवी को बच्चों को पिलाता और ख़ुद पीता था। एक रोज़ मुझे आने में देर हो गई। मैं जब दूध के प्याले लेकर बाप की ख़िदमत में पहुंचा तो वह सो रहे थे। उनकी आंख लग चुकी थी। मैंने उन्हें जगाया नहीं कि ऐ परवरदिगार कहीं तू नाराज़ न हो जाता। तेरा हुक्म है कि मां-बाप को उफ भी न कहा। ज़रा सी बेअदबी न करो। उन्हें तकलीफ न दो इसलिये मैंने उन्हें तेरे हुक्म की वजह से जगाया नहीं। रात गुज़रती गई जब उनकी आंख खुली मैंने उन्हें दूध पेश किया फिर अपने बच्चों और बीवी को दिया और फिर खुद पिया। ऐ परवरदिगार अगर मेरा यह अमल तेरी बारगाह में मक़बूल हुआ हो तो हमें इस की बरकत से आज ग़ार से निजात दे दे। उस ने गिड़गिड़ा कर दुआ की और चट्टान थोड़ी से खिसक गई। दूसरे ने अर्ज़ की ऐ परवरदिगार मेरी एक रिश्ते की बहन थी मैं उसे बहुत चाहता था, मुझे उस से इश्क़ था वह मुझ से तरह-तरह की मांग करती रही और मैंने सब पूरे किए। एक दिन वह मेरे पास तन्हाई (एकान्त) में थी। मैं बहुत खुश था। अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था कि आज मेरे दिल की मुराद मेरे पास है। मैं वह बहुत करीब थे। मैंने उस से कहा कि आज हम तुम अकेले हैं, कोई हमें देख नहीं रहा। हम जो चाहें करें। यह बात सुन कर उसने कहा ऐ नादान! तू भूल गया कि अल्लाह हमें देख रहा है। ऐ परवरदिगार! उसका इतना कहना था कि मेरे जिस्म पर लरज़ा (कंपकपी) तारी हो गई। मैं तुझ से डर गया। तुरंत उस से दूर हो गया और कोई गुनाह नहीं किया। ऐ रब मैंने बड़ी मेहनत से उसे हासिल किया था लेकिन तेरे डर से उसे छोड़ दिया और तौबा कर ली। अगर मेरा यह अमल तेरी बारगाह में कुबूल हुआ हो तो इसकी बरकत से हमें आज इस ग़ार से छुटकारा दे दे। उस ने दुआ की और चट्टान थोड़ी सी खिसक गई। तीसरे शख़्स ने दुआ की। ऐ परवरदिगार! मैं ने उजरत पर एक मज़दूर लिया। उसने दिन भर काम किया। शाम को मज़दूरी देते वक़्त उस से कुछ कहा सुनी हो गई। मैंने उस से कहा कि या तो मज़दूरी ले लो या तुम जाओ। वह चला गया और मज़दूरी छोड़ गया। परवरदिगार मैं उसकी तलाश में निकला और उसे बहुत तलाश किया वह नहीं मिला, मैंने उस की मज़दूरी के पैसे से अलग तिजारत शुरू कर दी। अपनी दौलत अलग रखता था। मेरी नियत यह थी कि जब भी वह मिल जाएगा उसे सब दे दूंगा। मैं उस के पैसे से तिजारत करता रहा और बहुत बर्कत हुई। उस के पैसे से हर तरह की रेल-पेल हो गई। एक दिन वह मज़दूर आया और कहने लगा कि मैंने आप के यहां मज़दूरी की थी। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें बहुत तलाश कर रहा था। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। यह सब दौलत ले लो और मुझे आख़िरत की पकड़ से बचा लो। पहले तो उस ने मेरी बात को मज़ाक़ समझा लेकिन जब मैंने उसे यक़ीन दिलाया तो उस ने खुशी-खुशी वह सारी दौलत ले ली और वह मुझ से राज़ी होकर चला गया। ऐ परवरदिगार! अगर मेरा यह अमल तेरी बारगाह में मक़बूल हुआ है तो इसकी बर्कत से आज हमें इस ग़ार से निजात दे दे। अल्लाह तआला ने इन तीनों की दुआएं कुबूल कर ली और यह तीनों ग़ार से निकल गये। ग़ैब से बन्दोबस्त हुआ और चट्टान ग़ार के मुंह से दूर हो गई। इस क़िस्से का एक-एक लफ़्ज़ ग़ौर करने के क़ाबिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कभी किसी नेकी को कम न समझो क्या पता अल्लाह उसी से राज़ी हो जाए। कभी किसी अमल को कम न समझो, क्या पता अल्लाह उसी से राज़ी हो जाए। कभी किसी मोमिन को कम न समझो क्या पता वही अल्लाह का वली हो। ❑❑(26/5/10)

नूर-ए-क़ुरआन

सूरा बकरह नं. 02

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

क्या तुझको बनी इसराईल की एक जमात का क़िस्सा जो मूसा के बाद हुआ है ज्ञात नहीं हुआ।

इस किस्से से जलाह का सम्पत्ति में न्यूनता और अधिकता कर देना, जिसका अभी वर्णन हुजा है, भली भांति ज्ञात होता है। अर्थात् फकीर को बादशाह बनाना और बादशाह से बादशाहत छीन लेना और निर्बल को बलवान और बलवान को निर्बल कर देना।

जब उन्होंने अपने रसूल से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह नियुक्त कर दीजिए ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। रसूल ने कहा कि क्या तुम से यह भी आशा है कि यदि तुम को जिहाद का आदेश हो तो तुम उस समय जिहाद न करो। वे लोग कहने लगे कि हमको क्या हुआ कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद न करें और हम अपने घरों और अपनी औलाद से अलग कर दिये गये फिर जब उनको जिहाद का आदेश हुआ। तो उनमें से थोड़े लोगों के अतिरिक्त ये सब फिर गये और अल्लाह गुनहगारों को भली भांति जानता है।

हद्र मूसा अद्र के पश्चात् कुछ दिनों तक बनी इसराईल का काम ठीक रहा। फिर जब उनकी नीयत बिगड़ी उस समय उन पर एक इनकारी सम्राट लाद दिया गया, जिसका नाम जालूत था, जिसने उनको शहर से निकाल दिया, लूटा और बन्दी बना लिया। बनी इसराईली भाग कर बैतुल मुकद्दस में इकट्ठे हुए। उस समय हजरत असमोइल रसूल थे उनसे प्रार्थना की गई कि हमारे लिए कोई बादशाह ऐसा बनाओ कि उसके साथ मिलकर अल्लाह के लिए जिहाद कर सकें।

और उनसे उनके रसूल ने कहा कि निःसन्देह अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह निश्चित कर दिया है। वे लोग कहने लगे कि उसको हम पर बादशाहत का अधिकार कैसे हो सकता है और हम उसके मुकाबले में बादशाहत का अधिक अधिकार रखते हैं और उसको तो माल में अधिकता भी नहीं मिली रसूल ने कहा निःसन्देह अल्लाह ने उसको तुम्हारे मुक़ाबले में चुन लिया पारा है और ज्ञान और शरीर में उसको अधिकता दी है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहता है दे देता है। और अल्लाह विशालता देने वाला सब कुछ जानने वाला है।

तालुत की कौम में पहले कोई बादशाह नहीं था। निर्धन और परिश्रमी लोग थे। उनकी नज़र में वे शासन के योग्य नहीं जंचे और माल, धन के कारण अपने को शासन के योग्य विचार किया। रसूल ने कहा शासन करना किसी का अधिकार नहीं। शासन के लिए बुद्धि शरीर में शक्ति चाहिए तालूत इन बातों में तुमसे अच्छा है। चेतावनीः बनी इसराईल ने जब यह सुना तो फिर रसूल से कहा कि इस के अतिरिक्त कोई दूसरी युक्ति भी उनके शासन के लिए दिखा दो ताकि हमारे मन और हृदयों में कोई शंका न रहे। रसूल ने अल्लाह के दरबार में प्रार्थना की और तालूत के शासन की दूसरी निशानी बयान कर दी गयी।

रुकू न॰ 32

और बनी इसराईल से उनके रसूल ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वह सन्दूक आ जायेगा जिसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से संतोष की वस्तुएँ हैं और कुछ बची हुई चीजें हैं जिनको हजरत मूसा और हजरत हारून की सन्तान छोड़ गयी थी, उस सन्दूक को फरिश्ते उठा लायेंगे निःसन्देह उसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है, यदि तुम ईमान रखते हो।

बनी इसराईल में एक बक्सा पहले से चला आ रहा था, जिसमें उनके पूर्वजों की कुछ पवित्र वस्तुएं रहती थीं। जैसे हद्र मूसा आदि रसूलों की। बनी इसराईल इस बक्से को लड़ाई में आगे रखते थे। अल्लाह उसकी बरकत से उनको विजय दे देता था। जब जालूत का अधिकार उन पर हो गया तो वह वक्त भी उनके अधिकार में चला गया था। जब अल्लाह को बक्स का वापस पहुँचाना स्वीकार हुआ तो जालूत के लोग उसको जहाँ रखते वही महामारी फैल जाती। पांच शहर खन्डहर बन गये। लाचार होकर दो बैलों पर उसको लादकर हाँक दिया। फरिश्ते बैलों को हांक कर तालूत के दरवाजे पर छोड़ आये। बनी इसराईल इस निशानी को देखकर तालूत की बादशाहत पर विश्वास ले जाये और तालूत ने जालूत पर सेना लेकर चढ़ाई कर दी उस समय गमर्मी का मौसम था।

अपराधी राजा या सेवक
सुधार की अनंत यात्रा अब भी जारी

आलोक मेहता

वोटर इज किंग, इलेक्टेड मेन इज सर्वेट ऑफ पब्लिक (मतदाता राजा है, चुने गए व्यक्ति सेवक हैं। लेकिन सारे चुनाव सुधारों और अदालती निर्णयों के बावजूद राजनीति में अपराधीकरण से मुक्ति नहीं मिल पाई है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने में विभिन्न राजनीतिक दलों ने कोई संकोच नहीं किया है।

राजनीति के अपराधीकरण का असली कारण यह है कि पहले पार्टियां और उनके नेता चुनावी सफलता के लिए कुछ दादा किस्म के दबंग अपराधियों और धनपतियों का सहयोग लेते थे। धीरे-धीरे दबंग और धनपतियों को स्वयं सत्ता में आने का मोह हो गया। अधिकांश पार्टियों को यह मजबूरी महसूस होने लगी। पराकाष्ठा यहाँ तक हो गई कि नरसिंह राव के सत्ता कल में एक बहुत विवादस्पद दबंग नेता को राज्य सभा में नामांकन तक कर दिया गया। ऐसे दादागिरी वाले नेता येन केन प्रकारेण किसी न किसी दल से चुनकर राज्य सभा तक पहुंच जाते हैं। दुनिया के किसी अन्य लोकतान्त्रिक देश में इतनी बुरी स्थिति नहीं मिलेगी। कुछ अफ्रीकी देशों में अवश्य ऐसी शिकायतें मिल सकती हैं, लेकिन दुनिया तो भास्त को आदर्श रूप में देखना चाहती है। इस संदर्भ में हर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में इवीएम मशीनों को लेकर न केवल कुछ पार्टियां और नेता संदेह पैदा करने की कोशिश करने लगे हैं। यदि वे विजयी हो रहे होते हैं, तो उन्हें मशीन ठीक लगती है और पराजय की हालत में मशीन में गड़बड़ी, हेराफेरी के आरोप लग जाते हैं। यहां तक की मीडिया में कुछ विशेषज्ञ या पत्रकार भी शंका करते हैं। यह बेहद दुखद स्थिति है, क्योंकि इससे गरीब, कम शिक्षित मतदाता ही नहीं शहरी लोग भी मतदान को अनावश्यक और गलत समझने लगते हैं। जबकि तकनीकी पुष्टि देश के नामी आईटी विशेषज्ञ कर रहे हैं। चुनाव सुधार अभियान के दौरान ऐसी अफवाहों पर अंकुश के लिए भी कोई नियम कानून बनना चाहिए। वैसे भी किसी चुनाव को अदालत में चुनौती का प्रावधान है। लोकतंत्र में आस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए व्यापक चुनाव सुधार और एक देश एक चुनाव के विचार पर जल्द ही सर्वदलीय सहमति से निर्णय होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 2,534 उम्मीदवारों में से 472 (19 प्रतिशत) उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र के दौरान दिए गए घोषणा पत्रों में खुद ही अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, उनकी संख्या 291 (11 प्रतिशत) है। कांग्रेस के 230 उम्मीदवारों में से 121 (53 प्रतिशत) ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया है। वहीं 61 (27 प्रतिशत) ने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। बीजेपी के 230 उम्मीदवारों में से 65 (या 28 प्रतिशत) ने खुद ही अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को स्वीकार किया है। वहीं 23 (10 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के 66 उम्मीदवारों में से 26 (39 प्रतिशत) ने अपने ख़िलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 18 (27 प्रतिशत) ने अपने हलफनामों में गंभीर आपराधिक मामलों के बारे में बताया है।

बसपा के 181 उम्मीदवारों में से 16 (9 फीसदी) ने आपराधिक रिकॉर्ड घोषित किया है, जबकि 16 (9 फीसदी) ने के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहां तक कि कुछ ने धारा-376 के तहत बलात्कार से संबंधित केस दर्ज होने की जानकारी दी है। इसके अलावा 10 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में हत्या (आईपीसी धारा 302) से संबंधित मामलों की घोषणा की है, और 17 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा-307) से संबंधित मामलों की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 953 उम्मीदवारों में से 100 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 56 गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें घ ज्ञानबूझकर चोट पहुंचाना, धमकी देना तथा धोखाधड़ी करने से संबंधित आरोप शामिल हैं। विश्लेषण किए गए 953 उम्मीदवारों में से 100 (करीब 10 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। राज्य में चुनाव लड़ रहे प्रमुख दलों में कांग्रेस के 13, भाजपा के 12, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के 11 और आम आदमी पार्टी (आप) के 12 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दागी उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को प्रमुखता से सार्वजनिक करें, ताकि जनता को जानकारी रहे। राजनीतिक दल जिन दागियों को जिताऊ उम्मीदवार बताकर चुनाव मैदान में उतार देते हैं, उनके बचाव में वे न्याय शास्त्र के इस सिद्धांत की आड़ लेते हैं कि आरोपित जब तक न्यायालय से दोषी न करार दिया जाए, तब तक वह निर्दोष ही माना जाए।

रिपोर्ट के अनुसार, सत्तारूढ़ कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से सात -(10 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, विपक्षी 'दल भाजपा के 70 उम्मीदवारों में से चार (6 प्रतिशत), जेसीसी (जे) के 62 उम्मीदवारों में से चार (6 प्रतिशत) और आम आदमी पार्टी के 44 में से छह (14 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। पहले चरण के चुनाव में 223 उम्मीदवारों में से 26 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे, जिनमें से 16 गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

वैसे लोकसभा में भी आपराधिक मामलों से जुड़े सांसदों की संख्या कम नहीं है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में पार्टियों से कहा था कि दागी उम्मीदवार खड़े करने के कारण स्पष्ट करें। वर्षों से चल रही बहस और अदालती निदेशों के बावजूद लोक सभा में दागी यानी आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या बढ़ती चली गई है। 2004 में दागी प्रतिनिधियों की संख्या 24 प्रतिशत थी, जो 2009 में 30 प्रतिशत, 2014 में 34 प्रतिशत और 2019 के लोक सभा चुनाव के बाद 43 प्रतिशत हो गई। सुप्रीम कोर्ट की सविधान पीठ ने सितंबर 2018 को एक फैसले में निर्देश दिया था कि दागी उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को प्रमुखता से सार्वजनिक करें, ताकि जनता को जानकारी रहे। राजनीतिक दल जिन दागियों को जिताऊ उम्मीदवार बताकर चुनाव मैदान में उतार देते हैं, उनके बचाव में वे न्याय शास्त्र के इस सिद्धांत की आड़ लेते हैं कि आरोपित जब तक न्यायालय से दोषी न करार दिया जाए, तब तक वह निर्दोष ही माना जाए।

यह दलील उन मामलों में भी दी जाती है जिनमें उम्मीदवार के संगीन अपराध में लिप्त होने का आरोप होता है। अनेकानेक गंभीर मामलों में सबूतों के साथ चार्जशीट होने पर तो नेता और पार्टियों को कोई शर्म महसूस होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने तो बहुत पहले यही सिफारिश कांग्रेस राज के दौरान की थी कि चार्जशीट होने के बाद उम्मीदवार नहीं बन पाने का कानून बना दिया जाये लेकिन ऐसी अनेक सिफारिशें सरकारों और संसदीय समितियों के समक्ष लटकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसदों - मंत्रियों आदि पर विचाराधीन मामलों के लिए अलग से अदालतों के प्रावधान और फैसले का आग्रह भी किया, लेकिन अदालतों के पास पर्याप्त जज ही नहीं हैं। असल में इसके लिए सरकार, संसद और सर्वोच्च अदालत ही पूरी गंभीरता से निर्णय लागू कर सकती हैं। ❑❑

अकेलापन विश्व में सबसे बड़ा ख़तरा, हर 4 में से 1 बुजुर्ग शिकार

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) ने मौजूदा वक्त में अकेलेपन को बड़ा खतरा बताया है। एक ताजा रिपोर्ट में संगठन ने कहा है कि दुनिया आज अकेलेपन के नए खतरे से जूझ रही है और हर 4 में से 1 बुजुर्ग इस समस्या का शिकार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में बुजुर्गों व युवाओं के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर होगा। डब्लयूएचओ की ओर से करवाए एक शोध के मुताबिक, लोगों से जुड़ाव महसूस न करना और अपर्याप्त संख्या में सामाजिक संपर्क होना अकेलेपन का बड़ा कारण है। हालांकि, इसका असर सभी आयु वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है लेकिन खासतौर से उच्च आमदनी वाले देशों में बुजुर्ग अकेलेपन से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हर 4 में से 1 बुजुर्ग के अकेलेपन का शिकार होने के अलावा 5 से 15: किशोरों में सामाजिक अलगाव आम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये आंकड़े कम हैं और स्थिति इससे कहीं ज़्यादा घातक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार सामाजिक अलगाव का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से सामने आया है कि सामाजिक जुड़ाव की कमी के कारण लोगों में धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, आलस, मोटापा, वायु प्रदूषण और तनाव भी बढ़ा है। इससे हृदय रोग का खतरा भी 30: तक बढ़ सकता है।

संपर्क बनाने में नया आयोग निभाएगा अहम भूमिका:- संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य निकाय ने सोशल कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक नए आयोग के गठन का ऐलान किया है जो सभी देशों में काम करेगा और लोगों का अकेलापन दूर करने का प्रयास करेगा। आयोग में अमेरिकी सर्जन जनरल डॉ. विवेक मूर्ति और अफ्रीकी संघ के युवा दूत चिडो मपेम्बा समेत 11 सदस्य होंगे। आयोग 3 वर्ष तक सभी उम्र के लोगों में सामाजिक संपर्क बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा और बड़े पैमाने पर सामाजिक संबंध बनाने के लिए समाधानों की रूपरेखा तैयार करेगा। आयोग यह भी तय करेगा कि प्रमुख समुदायों और समाज की भलाई के लिए सामाजिक कनेक्शन कैसे काम करते हैं।

स्वास्थ्य व कल्याण पर होंगे गंभीर परिणाम : घ्रेबेयेसस:- डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोरा एडनोम घेबेयेसस ने बताया कि दुनिया भर में सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की उच्च दर के स्वास्थ्य और कल्याण पर गभीर परिणाम होंगे। पर्याप्त मजबूत सामाजिक संबंधों के बिना लोगों को अवसाद, स्ट्रोक, आत्महत्या, विता और मनोभ्रंश सहित कई ख़तरे है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएवओ आयोग वैश्वकि स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में सामाजिक संबंध स्थापित करने और आशाजनक हस्तक्षेप साझा करने में मदद करेगा।

क्यू स्टार में इंसानों जैसी समझ, इंसानियत को ख़तरा

अब तक माना जा रहा था कि एआई की वजह से नौकरियों के बाजार में कमी आएगी, लेकिन अब ओपन एआई के नए प्रोजेक्ट क्यू स्टार से मानवता को ही खतरा पैदा हो गया है। यह एजीआई यानी आर्टिफिशियल जेनरल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से तैयार हुए डिवाइस में इंसानों की तरह समझ होगी और सीखने की क्षमता भी। यह अपनी गलतियों और उस हर चीज से सीख सकेगा जिससे यह रूबरू होगा। सीखने की इस क्षमता की वजह से यह खुद को बेहतर करता जाएगा। इसलिए इस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। संभव है कि यह खुद को स्वयं ही नियंत्रित करने लगे। इंसानों जैसी समझ होने और असीमित ताकत से यह मानवता को ही खतरे में डाल सकता है। दरअसल क्यू स्टार किसी एल्गोरिद्म पर काम नहीं करता। जहां चौटजीपीटी मौजूद डेटा के आधार पर जवाब देता है, वहीं क्यू स्टार सोच-समझकर डेटा का एंटरप्रटेशन कर सकता है। तकनीक विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें अद्भुत क्षमता होगी। यह इंसानों की तरह लेकिन इंसानों से कहीं तेज काम कर सकेगा। ओपन एआई के सीईओ सैम ऐल्टमैन ने भी इसके प्रति आशंका जताई है। उन्होंने इसे इंसानों का सहकर्मी कहा है।

एजीआई तकनीक की शक्ति पर कोई रोक नहीं होगी: क्यू स्टार जैसी एआई तकनीक के पास असीमित शक्ति होगी। वह खुद को अपडेट करते - हुए ज्यादा बेहतर होता जाएगा। हमें वास्तव में उसके बारे में पूरी तरह नहीं पता होगा। इसलिए उसपर नियंत्रण करना ज्यादा मुश्किल होगा।

इंसान ऑटोमेटेड मशीनों के मुकाबले में खड़े होंगे : संभव है कि इंसान और मशीन एक साथ काम करें। अब तक मशीनों के जरिए इंसान काम करते हैं, लेकिन तब संभव है कि सबसे बड़ा काम खुद को अपडेट कर रही मशीनों को कंट्रोल कर पाने का हो।

खेल जगत

एक तारीख़ जिसने भारत को बदल दिया

कुछ बड़ी घटनाएं अपने आप को सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रखतीं, वे भविष्य का रास्ता भी तैयार करती हैं। उनकी गूंज दशकों और कई बार तो सदियों तक सुनाई देती है। 25 जून, 1983 को जब भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान में विश्व कप के फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, तब इसे महज खेल जगत की एक अभूतपूर्व उपलब्धि भर माना जा रहा था। अगले दिन ब्रिटिश अखबारों ने लिखा था कि भारत ने क्रिकेट के समीकरण को बदल दिया है। तब किसने सोचा था कि कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम को जो जीत मिली है, वह अगले कुछ साल में भारत को ही पूरी तरह बदल देगी ?

इतिहास में अक्सर घटनाओं के मुकाबले उनके घटित होने का समय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भारतीय टीम को यह जीत जिस समय मिली, वह आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दशक है। खासकर जब हम इसे अर्थव्यवस्था की यात्रा के नजरिये से देखते हैं। यह वह समय था, जब भारतीय मध्यवर्ग एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। आर्थिक उदारीकरण की तूफानी रफ्तार भले ही बहुत बाद में आई हो, पर उसकी शुरुआती बयार इसी दशक में बहनी शुरू हुई थी।

ठीक एक साल पहले दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। इसके साथ ही देश में टेलीविजन के रंगीन प्रसारण की भी शुरुआत हुई थी। बाद के लंबे समय तक रंगीन टेलीविजन सेट भारतीयों के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा सपना बना रहा। अपनी काली-सफेद आभा से लुभाने वाले विज्ञापन जब रंगीन होकर लोगों को रिझाने के लिए घर-घर में घुसे, तो देशवासियों की दुनिया बदलने लग गई। कई अर्थशास्त्री रंगीन टेलीविजन के आगमन को देश के उपभोक्तावाद की शुरुआत भी मानते हैं। राजनीतिक रूप से भी यह ऐसा समय था, जब भारतीय समाज ने समाजवाद की सोच को नमस्कार कहना शुरू कर दिया था और समृद्धि के सपनों की जमीन नया विस्तार पाने लगी थी। जिसे हम भारत की आईटी क्रांति के नाम से जानते हैं, उसकी नींव भी इसी दशक में रखी गई थी। इनफोसिस की स्थापना 1980 में हुई थी। देश के लगातार बढ़ते मध्यवर्ग को जब दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में देखा जाने लगा, तब इस वर्ग को भी अपने महत्व का एहसास हुआ। गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बनी हुई थीं, लेकिन मध्यवर्ग भविष्य को लेकर ज्यादा आश्वस्त दिख रहा था।

ठीक इसी समय 1983 की विश्व कप क्रिकेट की जीत ने देश को अचानक ही वह गौरव-बोध दिया, जो इसके पहले तक अनुपस्थित था। क्रिकेट में विश्व विजेता बनने की वह उपलब्धि जितनी बड़ी थी, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उससे कहीं बड़ा था और दीर्घजीवी भी। कभी भारतीय हॉकी टीम का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। लगातार कई ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक भारत को ही मिला, पर एस्ट्रोटफ के आगमन से भारत और पाकिस्तान जैसे परंपरागत हॉकी खेलने वाले देश काफी पिछड़ गए। खेलों की लोकप्रियता का ग्राफ हॉकी से हटकर क्रिकेट की ओर बढ़ने लगा था। हॉकी वैसे भी ओलंपिक या वैसी ही उन प्रतिस्पर्द्धाओं का खेल था, जिनमें पेशेवर खिलाड़ियों से परहेज किया जाता है। मगर क्रिकेट के साथ ऐसी कोई सोच नहीं जुड़ी थी।

इस दौर में जितनी लोकप्रियता क्रिकेट खिलाड़ियों को मिली, उतनी किसी दूसरे खेल के खिलाड़ी को नहीं मिली। कुछ मामलों में तो वे फिल्मी सितारों को भी मात करने लगे। क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में ही नहीं, विज्ञापनों में भी चमकने लग गए। विज्ञापन से कमाई के मामले में सचिन तेंदुलकर ने तो एक दौर में सदी के महानायक तक को पीछे धाकेल दिया था।

इसी समय देश के मध्यवर्ग ने क्रिकेट को एक पेशेवर विकल्प के रूप में देखना शुरू किया। मध्यवर्ग औरनिम्न मध्यवर्ग से जितने खिलाड़ी इस दौर में आए, 'उतने पहले कभी नहीं आए थे। नए खिलाड़ी आगे आ सकें, इसके लिए बेंगलुरू में एक राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बनी। कई क्षेत्रीय क्रिकेट अकादमियां भी शुरू हुईं। छोटे शहरों और कस्बों तक में क्रिकेट की कोचिंग शुरू हो गई। क्रिकेट अब एक मान्य करियर बन चुका था, जिसका अपना कारोबार भी था। जगह- जगह प्रतिभाओं के नए अंकुर भी फूटे, जिनका कमाल हम इन दिनों देख ही रहे हैं।

यही वह जगह थी, जहां से भारत का बाजार, मध्यवर्ग और क्रिकेट हमसफर बन गए। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, क्योंकि इसे बाजार ने बढ़ावा दिया, मगर उतना ही बड़ा सच यह भी है कि बाजार को सबसे बड़ा संबल क्रिकेट से ही मिला। क्रिकेट की लोकप्रियता के कंधों पर चढ़कर बाजार ने जो कामयाबी हासिल की, वैसी उसे इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इस दौर में जितनी लोकप्रियता क्रिकेट खिलाड़ियों को मिली, उतनी किसी दूसरे खेल के खिलाड़ी को नहीं मिली। कुछ मामलों में तो वे फिल्मी सितारों को भी मात करने लगे। क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में ही नहीं, विज्ञापनों में भी चमकने लग गए। विज्ञापन से कमाई के मामले में सचिन तेंदुलकर ने तो एक दौर में सदी के महानायक तक को पीछे धकेल दिया था। यह भी कहा जाता है कि नए रूप में क्रिकेट मनोरंजन का सबसे बड़ा विकल्प बनता जा रहा है।

क्रिकेट में बाजार का निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल आईपीएल में हम इसे सबसे अच्छी तरह देख सकते हैं। खिलाड़ियों की नीलामी होती है, तो नए-नए खिलाड़ी भी रातोंरात करोड़पति हो जाते हैं। इसके पहले कि आईपीएल की पहली गेंद फेंकी जाए, हजारों करोड़ रुपये का कारोबार हो जाता है। यही इस बार के विश्व कप में भी हुआ है। आईपीएल में प्रसारण अधिकार और स्पॉन्सरशिप से लेकर विज्ञापनों तक अथाह कमाई होती है। यूरोपीय फुटबॉल लीग के बाद आईपीएल दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई वाली लीग बन गई है। यहां तक कि उसने अमेरिका की बास्केट बॉल लीग को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।

इसी कमाई के चलते भारतीय क्रिकेट में इतना पैसा आ गया कि दुनिया की हर टीम भारत के साथ खेलने के लिए बेताब दिखने लगी। देश का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया। हालांकि, ये आरोप भी आए कि भारतीय बोर्ड पैसे के दम पर अपनी मनमानी थोपने की कोशिश करता है। सच जो भी हो, मगर आज भारत और उसका क्रिकेट जहां पर हैं, उसकी यात्रा 25 जून, 1983 को लॉर्ड्स के मैदान से शुरू हुई थी। उसके आगे भी भारत ने विश्व कप जीता, टी-20 का विश्व कप भी जीता, भारतीय खिलाड़ियों ने कई और बड़ी जीत भी दर्ज कराई लेकिन सन् 1983 की जीत का अर्थ ही अलग है। उस जीत ने भारतीय क्रिकेट को ही नहीं, बल्कि भारत को भी पूरी तरह बदल दिया। ❑❑

स्वास्थ्य

संभलकर रहें, सर्दियों की बीमारियों से

सर्दी के साथ बुख़ार का मौसम भी आता है। सांस संबंधी बीमारियां निस्संदेह घर कर जाती हैं। लोग घर के अंदर या बंद जगहों में रहते हैं जिससे विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से जा सकते हैं। ठंडी, शुष्क हवा हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर स कर देती है। सर्दी के मौसम में लोग खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए भरसक कोशिश करते हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बीमार पड़ सकते हैं। तो, यहाँ सर्दियों की आम बीमारियां क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है।

सर्दी की सबसे आम बीमारियां

यह मौसम ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन इसमें होने वाली बीमारियां किसी को पसंद नहीं आतीं। तापमान में अचानक गिरावट त्वचा और सांस संक्रमण के कई स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे सकती हैं। इसलिए, जब आप अच्छे भोजन का सेवन कर रहे हों और सर्दियों के कपड़े पहन रहे हों, तो आपको निम्नलिखित रोगों पर ध्यान देना चाहिए-

सामान्य सर्दी : यह एक विषाणु संक्रमण है जो नाक और गले को प्रभावित करता है। कभी-कभी आपके कानों को भी। यह कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रहता है।

बुखार : यह आम सर्दी के समान है लेकिन यह संक्रामक श्वसन रोग आपके श्वसन पथ जैसे मुंह, नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह हल्का या गंभीर हो सकता है। हालाकि बुखार पांच दिनों में ठीक हो जाता है, खांसी और सामान्य थकान दो सप्ताह तक रहती है।

ब्रोंकाइटिस : ब्रोंकाइटिस एक प्रचलित विषाणु श्वसन संक्रमण है। यह तीव्र या जीर्ण हो सकता है। यह ब्राँची (सांस की नली) की सूजन से होता है। ये बड़ी नलिकाएं हैं जो आपके फेफड़ों में हवा लाती हैं।

स्ट्रेप नोट : यह ज़्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चों में देखा जाता है और इसमें आमतौर पर सर्दी या खांसी के लक्षण नहीं होते हैं। यह जीवाणु संक्रमण मुख्य रूप से सिरदर्द और पेट दर्द के साथ गले में एक गंभीर ख़राश है।

काली खांसी : पटुंसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक गंभीर और अत्यंत संक्रामक जीवाणु संक्रमण है। यह मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। यह स्थिति 10 सप्ताह, तक रह सकती है।

लक्षण

लक्षण प्रारंभिक चेतावनी के संकेत के रूप में कार्य करते हैं और अपनी संबंधित सदर्दी की बीमारियों की ओर संकेत करते हैं। इसलिए इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है- सामान्य सर्दी लक्षणों में गले में ख़राश, सिरदर्द, सीने में जकड़न, नाक बहना, छींक आना, ठंड लगना, दर्द और कभी-कभी हल्का बुखार शामिल हैं।.. बुखार रू तेज बुखार, खांसी, सिरदर्द, दस्त, शरीर में दर्द, गले में खराश आदि इसके लक्षण है।

ब्रोकाइटिस : लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, हल्का बुखार और नाक के मार्ग में जमाव, सूखी खांसी जो बलगम पैदा करने वाली, घरघराहट, निर्जलीकरण, बहती नाक, आंखों से पानी और खांसी में बदल जाती है।

गला खराब होना : गले में ख़राश, तेज़ बुखार, सिरदर्द, उल्टी, भोजन या पानी निगलने में कठिनाई, लिम्फ नोड्स में सूजन लक्षण हैं।

निमोनिया : लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक होते हैं। सामान्य लक्षणों में भ्रम, भारी पसीना, बुखार, ठंड लगना और भूख न लगना, बलगम के साथ खांसी, तेजी से सांस लेना और सीने में तेज दर्द शामिल हैं।

काली खांसी : यह एक सामान्य सर्दी से शुरू होता है। इसके अन्य लक्षण हैं बुखार, आंखों से पानी आना, छींक आना और नाक बहना।

कारण

सर्दी की सामान्य बीमारियों में से प्रत्येक के अलग-अलग कारण हैं :

सामान्य सर्दी : 200 से अधिक प्रकार के विषाणु हैं जो सामान्य सर्दी का कारण बन सकते हैं। सबसे आम राइनोवायरस है। यह रोग बदलते मौसम, किसी संक्रमित व्यक्ति के आपके पास खांसने या छींकने से या किसी दूषित सतह के संपर्क में आने से होता है।

फ्लू : यह 'इन्फ्लुएंजा' विषाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक श्वसन रोग है। मरीज इसे वायुजनित बूंदों से प्राप्त करते हैं जो छींक या खांसी, दूषित पदार्थों आदि को छूने से होती हैं।

ब्रोंकाइटिस : कई अलग-अलग विषाणु हैं जो ब्रोंकाइटिस का कारण बनते हैं। सबसे आम आरएसवी है। यह सर्दी या फ्लू के विषाणु या सांस के जरिए अंदर जाने वाले जीवाणु से भी विकसित होता है। यदि कोई धूम्रपान करता है या उसे साइनसाइटिस, बढ़े हुए टान्सिल या एलर्जी हैं तो उसे यह संक्रमण जल्दी हो सकती है। यहां तक कि वायु प्रदूषण से भी होने की आशंका रहती है।

स्ट्रेप थ्रोट : यह जीवाणु के संक्रमण से होता है और बच्चों में आम है। यह ज्यादातर स्कूल में या खेलने के समय बच्चों के बीच फैलता है।

निमोनिया : यह विषाणु, जीवाणु या कवक के कारण होती यह ज्यादातर तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जैसे सर्जरी के ठीक बाद, कैंसर या अस्थमा, वृद्धावस्था या धूम्रपान जैसे अन्य कारणों से। काली खांसी रू यह एक जीवाणु बोर्डेटेला पटुसिस के कारण होता है और खांसी, छींकने और यहां तक कि सांस लेने से फैलता है। ❑❑ (यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

शेष.... पाकिस्तान में नई पटकथा.....

(पीटीआई) को चुनाव से बाहर नहीं किया गया है पर उसका चेहरा डिपा दिया गया है। इमरान ख़ान के कम से कम चुनाव बाद तक जेल में रहने की आशंका है। उनके अन्य वरिष्ठ नेताओं ने या तो पार्टी छोड़ दी है या जेल में है। 2018 के चुनाव में सेना से लाभ लेने वाली पीटीआई को इस बार उसके गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए पीटीआई पुख्ता लड़ाई लड़ने के लिए न तो पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम हो सकती है और न ही अच्छे उम्मीदवार, कई पीटीआई समर्थकों को चुनाव के दिन घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इमरान ख़ान का मुकाबला करने के लिए साथ काम करने के बाद अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) और सेना, अपने-अपने हित साधने में लगे हैं। सिंध के अपने गढ़ को बरकरार रखने के अलावा पीपीपी पंजाब, खासकर दक्षिणी पंजाब में समर्थन हासिल करना चाहेगी, जहां वह पिछले दो चुनावों में हाशिये पर रही थी। पीएमएल (एन) पंजाब में अपनी सियासी पकड़ बरकरार रखने के साथ ही अन्य प्रांतों में अच्छी संख्या में सीटें हासिल करना चाहेगी, जो शहबाज़ शरीफ सरकार द्वारा अपनाई गई कठोर आर्थिक नीतियों के चलते जनता के गुस्से को देखते हुए एक बड़ा लक्ष्य है।

सेना त्रिशंकु सदन देखना चाहेगी, जिसमें वह अपने समर्थक छोटे दलों की मदद से अपनी पसंद का बहुमत तैयार कर सके। करीब तीन छोटी पार्टियां पहले से ही सेना की तरकश में हैं। सभी संकेत 2018 की तरह ही एक प्रबंधित चुनाव की ओर इशारा करते हैं। यह चुनाव 2022 में इमरान खान के सत्ता से बाहर होने से पैदा हुए राजनीतिक संकट पर कागजी तौर पर कुछ कर सकता है, पर इसे हल नहीं करेगा। ऐसी सरकार बनने की आशंका है, जिसमें राजनीतिक वैधता का अभाव होगा, जो सेना पर निर्भर होगी व पाकिस्तान की कई समस्याओं का प्रभावी ढंग से सामना करने में अक्षम होगी। ❑❑

शेष.... हमने प्लेटफॉर्मों को.....

रूप में देखा. हमने उसे लोगों को जोड़ने, सूचना तक पहुंच आसान बनाने के साधन के रूप में देखा, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में इंटरनेट ने अच्छाई, काबिलियत और सशक्तीकरण की जगह तो बनाई ही, साथ ही बुराई, नुक्सान और शोषण तथा साइबर अपराध की भी जगह बन गया, वह कानून पूर्व-आधुनिक इंटरनेट युग में बनाया गया था और निश्चित रूप से उसकी जगह नए कानून की जरूरत है। इस नए कानून के क्या पैमाने हैं? उसमें कई चीजें हैं. इंटरनेट आज कहीं अधिक जटिल और विविधतापूर्ण है। आपके पास ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और एआइ प्लेटफॉर्म हैं. लोग आज अधिक से अधिक सुरक्षा और भरोसा चाहते हैं और उन्हें अधिक अधिकारों की ज़रूरत है. इसके लिए, हमारे क़ानूनों को ठोस बनाने की जरूरत है, अधिक प्रासंगिक दृष्टिकोण के साथ, जो अगले 10 वर्षों के लिए माकूल होंगे, यानी इनोवेशन समर्थक, यूजर समर्थक और नागरिक सुरक्षा समर्थक. और मुझे उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही सामने लाएंगे ❑❑

शेष.... भारतीय संविधान....

ान है। सर्वप्रथम सन् 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए लेकिन भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा दुकरा दिया गया था। 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मांग की कि भारत का राजनैतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे लेकिन अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के गठन की लगातार उठती मांग को ठुकराया जाता रहा।

आखिरकार 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ही एकमात्र उपाय है और सन् 1940 में तर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1942 में क्रिप्स कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत का संविधान तैयार करेगी।

सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा पहली बार समवेत हुई किन्तु अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। दो दिन बाद संविधान सभा की बैठक में डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और वे संविधान बनाने का कार्य पूरा होने तक इस पद पर आसीन रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने वाली 'संविधान निर्मात्री समिति' का गठन किया गया, सर्वसम्मति से जिसके अध्यक्ष बने भारतीय संविधान के जनक डा. भीमराव अम्बेडकर।

संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए संविधान में पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है, जिससे भारतीय संविधान का सार, उसकी अपेक्षाएं, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है।

प्रस्तावना के अनुसार, हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की यह प्रस्तावना ही पूरे संविधान के मुख्य उद्देश्य को प्रदर्शित करती है। ❑❑

शेष.... प्रथम पृष्ठ

इस बार भी बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी। इसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित अभूतपूर्व संख्या में पार्टी सदस्यों को भेजा। हालाँकि, कई शुरुआती विश्लेषणों से पता चला कि पार्टी ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे हार दिख रही थी, जबकि वास्तव में यह पार्टी को जीत की ओर ले जाने की एक रणनीति थी। फिर, हमेशा की तरह, पार्टी ने अपने कई विधायकों को टिकट नहीं दिया, जिनके प्रदर्शन या लोकप्रियता पर उसे संदेह था, जबकि भाजपा की तुलना में कांग्रेस ने ऐसे कड़े फैसले लिए।

जहां तक तेलंगाना का सवाल है तो कांग्रेस की भारी जीत उसके लिए सिर्फ सांत्वना पुरस्कार नहीं है। ये वो राज्य है जहां कुछ महीने पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि कांग्रेस इस तरह खड़ी होगी। तीन साल पहले जब इस राज्य में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल जब उसी राज्य में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव हुए, तो सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 39 सीटें, भाजपा ने 8 और कांग्रेस ने 64 सीटें जीतीं और यह लगभग मान लिया गया कि अब कांग्रेस तेलंगाना में है पहली पार्टी बन गई है। पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस का यह बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जिस राज्य में वह एक बार तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, वहां दोबारा नंबर दो की पार्टी नहीं बन पाती। यहां फिर से। नंबर वनी है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने बदकिस्मती का दाग धो दिया है जो उसके लिए वैसे भी अच्छी बात कही जा सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी में कुछ अन्य कारकों ने भी भूमिका निभाई। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस अपने बूढ़े नेतृत्व पर निर्भर थी, वहीं तेलंगाना में उसके पास बागडोर थी। यह अपेक्षात युवा नेतृत्व के हाथों में था। इससे ठीक पहले कांग्रेस ने दक्षिण भारत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी आसानी से जीत लिया था। जबकि उत्तर भारत में इसका शासन केवल हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में ही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित है। हालांकि ये सिर्फ कांग्रेस का ही मामला नहीं बल्कि बीजेपी का भी मामला है। पुडुचेरी को छोड़कर पूरे दक्षिण भारत में काम किया गया है। इस प्रकार यदि हम कहें कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है और दोनों ही पार्टियाँ अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर अपनी ताकत दिखाने में विफल रही हैं।

जहां तक मिजोरम का सवाल है, स्थानीय पार्टियां और उनके गठबंधन लंबे समय से दुविधा में हैं। दस सीटें जीती हैं, जबकि दो राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को क्रम शरू दो और एक सीट मिली हैं। हालाँकि, ये विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब कुछ महीनों बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं। ज्यादातर लोग ऐसे चुनावों को उनकी सुविधा के अनुसार सेमीफाइल घोषित कर दिया जाता है। हालांकि, हर बार विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक यह ज़रूरी नहीं है चुनाव का ट्रेंड एक ही है। मिजोरम और तेलंगाना के अलावा तीन और राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। कुछ क्षेत्रीय दल भी मैदान में थे लेकिन वे कोई खास प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं थे, जबकि शेष भारत की राजनीतिक हकीकत बिल्कुल अलग है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जो काफी मजबूत और महत्वपूर्ण हैं। आम चुनाव के नतीजों पर नियंत्रण के लिए ये सभी पार्टियां एकजुट हैं।

इसे सिर्फ राज्यों के चुनाव नतीजों के नजरिये से नहीं देखा जा सकता। इस बिंदु पर, एकमात्र सच्चाई यह है कि भाजपा ने अपने प्रभाव क्षेत्र में खुद को मजबूत किया है और कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी जीत के साथ। हैरान कर दिया है। ❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

उन्हें रैट होल माइनर्स का नाम दिया गया है। उनका कहना है कि हम इस तकनीक को जैक पुशिंग के नाम से जानते है। जिस तरह से चूहा अपने बिल के अंदर घुसकर मिट्टी को बाहर फेंकते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह से हम लोगों ने टनल के अंदर काम किया। वर्करों ने बताया कि दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने के बाद हमारी टीम को टनल के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 36 घंटे का टाइम दिया गया था, लेकिन हमने 26 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन को पूरा कर दिया।

दिल्ली की टीम को वकील हसन और मुन्ना कुरैशी लीड कर रहे थे। 41 लोगों की जिंदगी बचाने वाले ऑपरेशन से कैसे जुड़े? इस सवाल के जवाब में वकील हसन ने बताया कि 23 नवंबर को उनके पास उत्तराखंड ऑपरेशन से जुड़ी कंपनी में काम करने वाले अशोक का फोन आया था। उन्होंने बताया कि यहां टनल के अंदर 41 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की सभी कोशिशें फेल हो रही हैं। अंदर फंसे लोगों को को अब मैनुअल खुदाई करके निकालने के अलावादूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने उन्हें उत्तराखंड आने के लिए कहा। इसके बाद से वकील हसन ने मुन्ना कुरैशी से बात की। वे तुरंत इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए तैयार में हो गए। इसके बाद मोहम्मद राशिद, फिरोज च कुरैशी, मोहम्मद इरशाद अंसारी और मोहम्मद न नसीम भी इस ऑपरेशन से जुड़ गए। रात तक सभी लोग उनके आदेश का इंतजार करते रहे। कवकील हसन ने बताया कि शुक्रवार सुबह न एनईसीएल कंपनी के सीनियर अधिकारी ने उन्हें कॉल कर तुरंत उत्तराखंड के लिए रवाना होने के लिए कहा। उत्तराखंड पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले टनल की विजिट कराई गई। अत्याधुनिक मशीनों की मदद से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी कंपनी ने कुछ समय और मांगा। तब तक हम सभी वहीं इंतजार करते रहे। इस दौरान पता चला कि मशीन टनल के अंदर फंस गई है।.. मशीन को टनल के अंदर से बाहर निकालने में पूरे तीन दिन लग गए। अब हमें टनल के अंदर ऑपरेशन पूरा करने के लिए भेजा जाएगा, यह सोचकर ही उनकी पूरी टीम को उत्साह कई गुना बढ़ गया। रेट माइनर्स के घरों में जश्न का माहौल है। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। उनका कहना है कि रैट माइनर्स की टीम में शामिल सभी लोग बेहद गरीब हैं। सरकार अगर सभी लोगों को कोई परमानेंट काम दे देगी तो वे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे।

वकील हसन राजीव नगर कॉलोनी में रहते हैं। वह मुन्ना के साथ मिलकर खुदाई से जुड़े काम का ठेका लेने का काम करते है। सबसे पहले उत्तराखंड से उनसे ही टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए मदद मांगी गई थी।

मुन्ना कुरैशी पत्नी की कोरोना में में मौत हो गई। तीन बच्चे है। उनका कहना है कि बरसात के समय खुदाई का काम बंद हो जाता है। इसलिए चार महीने बहुत मुश्किल से कटते है। आजकल उनकी गली में जश्न मनाया जा रहा है।

मोहम्मद राशिद राजीव नगर में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक हमने जितना भी काम किया है, इतने लोगों की जिंदगी बचाने का मौका पहली बार मिला। इस ऑपरेशन में जुड़ने की उन्हें बहुत ज्यादा खुशी है।

मोहम्मद नसीम : नसीम की दोनों बहनों की 19 नवंबर को शादी थी। उनके यहां शादी के बाद एक सताह तक रिश्तेदार घर पर रुकते है। घर में जश्न वाले माहौल को छोड़कर टनल में लोगों को बचाने चले गए।

फिरोज कुरैशी राजीव नगर कॉलोनी में ही रहते है। जहां कही हाइवे के नीचे पाइपलाइन, सीवर लाइन या गैस पाइपलाइन डालनी होती है, उनकी टीम को बुलाया जाता है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद हर कोई उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है। कुछ महीने पहले राजीव नगर से लोनी शिफ्ट हो गए। ऑपरेशन के बारे में पूछने पर थोड़े भावुक हो गए। कहने लगे कि अभी तक हमे कोई नहीं जानता था, लेकिन ऑपरेशन के बाद लोगों ने बहुत मान-सम्मान दिया।क्या होती है रेट माइनिंग जिस तरह से चूहा अपने बिल के अंदर घुसकर मिट्टी को बाहर फेंकते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह से रैट माइनर्स ने टनल के अंदर काम किया। इसी तकनीक को रैट माइनिंग या जैक पुशिंग कहते हैं।

क्या मिला इनाम ?

उत्तराखंड सरकार से किसी तरह की कोई आर्थिक मदद मिली? इस सवाल के जवाब में रैट माइनर्स का कहना था कि हमें जो काम सौंपा गया था, उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। आगे क्या करना है, इसका फैसला सरकार को लेना है। ❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date :3 Dec. 2023 Posting Days : MON. - TUE. at N.D.P.S.O. New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र मीम.सीन.जीम

•संवाद और सावधानी •संकीर्ण सोच से बचें

•41 जानें बचाकर लौटे दिल्ली के जांबाज़

संवाद और सावधानी

बीती 4 दिसंबर को मणिपुर में दो गुटों के बीच हिंसा में 13 लोगों और मृत्यु हो गई। मणिपुर में अमन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण रास्ता धहां हिंसा में शामिल समूहों को चातचीत की मेज पर लाना है। सरकार कहती तो रही है कि हिंसा फैलाने वाले समूहों से बातचीत कर समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी, मगर अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। हालत यह है कि मई महीने में शुरू हुई हिंसा आज भी जारी है और समस्या का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकाला जा सका है। हालांकि इस बीच प्रशासनिक सख्ती और सेना के इस्तेमाल से अराजकता पर नियंत्रण की कोशिश की गई, मगर उसमें भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अब राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार इंफल घाटी के एक उग्रवादी समूह के साथ वार्ता ' कर रही है और जल्द ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि जिस समूह से बातचीत के चारे में कहा गया है, फिलहाल 'उसका नाम नहीं बताया गया है। सवाल है कि अगर सरकार इस ओर ' कदम बढ़ाती दिख रही है तो क्या किसी एक उग्रवादी समूह से बातचीत के जरिए समस्या का हल निकाला जा सकेगा।

ग़ौरतलब है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव से उठे विवाद के बाद जिस स्तर का विरोध शुरू हुआ था, ऽ उसने समूचे राज्य में व्यापक जातीय हिंसा की शक्ल ले ली। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जानलेवा टकराव के दौरान अब तक लगभग दो सौ लोगों की जान जा चुकी है। इसमें सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि मैतेई समुदाय को अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने 3 को लेकर कोई विवाद है, तो वह उसे पक्ष-विपक्ष के संबंधित समुदायों 3 के

ऐसा लगता है कि इस मसले पर उठे टकराव के प्रति धुंध और उसके बाद उपजी अराजकता को - लेकर उदासीनता बरती गई। नतीजतन, पिछले करीब सात महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है और आज भी कुकी समुदाय के लोगों को 1 निशाना बना कर हत्या की जाती है। जिस मसले का हल बातचीत से निकाला जा सकता था, उसके जटिल होने से नाहक हुई हिंसा में बहुत ' सारे लोग मारे गए, भारी पैमाने पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया।

अब अगर सरकार ने शांति कायम करने के लिए वार्ता का संकेत झ दिया है तो उसमें सिर्फ एक उग्रवादी समूह से बातचीत का हासिल क्या ' होगा? यह छिपा नहीं है कि राज्य में मौजूदा हिंसक और अराजक हालात में कई गुट शामिल हैं और सबकी अपनी-अपनी राय होगी। अगर उन प्रभावी गुटों को बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा, तो किसी एक समूह से वार्ता और शाति समझौता कितना स्थायी और दूरगामी हो सकता है ? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निगरानी और शांति समितियों के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश की गई, मगर उनका ठोस हासिल नहीं रहा। इसके अलावा, एक ओर सरकार ने हिंसा पर काबू पाने की अप्रभावी कोशिशों के समांतर सभी पक्षों को एक मेज पर लाने के प्रतिक्रिया तो उदासीनता दर्शायी या फिर नाकाम रही। अगर सरकार इनके बीच किसी एक उग्रवादी समूह से संवाद की बात कह रही है, तो इसके प्रति बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हिंसा में शामिल ज्यादातर समूह अब तक बातचीत के जरिए समस्या के समाधान संबंधी प्रयासों में शामिल नहीं हो सके हैं। इसलिए सरकार और एक उग्रवादी समूह के बीच बातचीत की कामयाबी - इस पर निर्भर करेगी कि दूसरे गुट इस पर क्या रुख अपनाते हैं।

संकीर्ण सोच से बचें

पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय वीजा देने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को जो टिप्पणी की, उसके गहरे निहितार्थ हैं। फैज अनवर कुरैशी की इस याचिका पर आला अदालत ने उन्हें उचित सलाह दी कि श्इतनी संकीर्ण सोच मत रखिए। अदालत की इस टिप्पणी से न सिर्फ मानवीय मूल्यों की भारतीय स्थापनाओं के प्रति आदर ध्वनित होता है, बल्कि प्रकारांतर से यह टिप्पणी कार्यपालिका के अधिकारों की भी रक्षा करती है, क्योंकि ऐसे फैसले करना सरकार का काम है। याचिकाकर्ता कुरैशी इस वैधानिक नुक्ते से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि पाकिस्तानी गायकों, अदाकारों, संगीतकारों, गीतकारों और तकनीशियनों को भारतीय बीजा न देने के लिए वह गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दे। गनीमत है कि याचिकाकर्ता उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिससे पाकिस्तान के बहुसंख्यक कलाकार आते हैं, वरना इसकी व्याख्या सांप्रदायिक नजरिये से की जाती और एक बेकार का वितंडा खड़ा करने की कोशिश होती।

आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले ही महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुरैशी की याचिका नामंजूर करते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही थीं, फिर भी वह शीर्ष अदालत पहुंच गए ? बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि देशभक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को पड़ोसी देशों से दुश्मन जैसा जिस देश में करोड़ों व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है, कोई भी देशभक्त नागरिक यही चाहेगा कि उसकी सरहदें न सिर्फ सुरक्षित रहें, बल्कि पुरअमन भी रहें और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में पहल हो। एक देशभक्त नागरिक यह भी नहीं चाहेगा, बल्कि उसे ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि देश के जिम्मेदार लोगों का बेशकीमती वक्त खराब हो। जिस देश में करोड़ों मुकदमे निपटारे की बाट जोह रहे हैं, यहां ऊंची अदालतों का वक्त जाया करना किसी अपराध से कम नहीं। ऐसी कुचेष्टय को हतोत्साहित करने के लिए ही अदालतों ने फिजूल की याचिकाएं लगाने ने वालों पर कई बार भारी जुमनि भी लगाए हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि पाकिस्तानी सियासतदां शुरुआत से ही भारत को लेकर एक कुंठा के शिकार रहे हैं, पर उसके कला क्षेत्र, खेल जगत से जुड़ी हस्तियों का रुख भारत व भारतीयों के प्रति अपेक्षाकृत नरम और एहतराम का रहा है। निस्संदेह, इसमें उनके आर्थिक हितों का एक पहलू भी है, मगर एक तथ्य यह भी है कि दोनों मुल्कों में खान-पान, लिबास और जुबान का साझापन है। इस नाते भी उनमें अपनापन स्वाभाविक है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसमें धरती पर खिंची लकीरें कई मायनों में बेमानी हो चुकी हैं। खासकर जिस क्षेत्र से कुरैशी जुड़े हैं, उसमें तो और भी। पाकिस्तानी गायक और अदाकार यू-ट्यूब, एक्स, एक्स, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया। मंचों के जरिये बगैर वीजा के ही भारतीय कला-प्रेमियों के दिल में जगह बना रहे हैं। फिर ऐसी मांगों की क्या सार्थकता ? इसके उलट यहां के नागरिक पदि कबर एक आवाज़ भारतीय सरकली के बाद भारत-विरोधियों और खेल के मैदान ती प्रेम व भाईचारे के वाहक हैं, है, उन्हें सकीर्ण इरादों से इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हाईकोर्ट और रसुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इसीलिए मानीखेज है। पाकिस्तान वैसे भी अब ग्रंथि पालने का विषय नहीं रहा।

बेटियां बुढ़ापे की खुशियां होती हैं..बेटी के साथ माता-पिता अच्छा महसूस करते है : रिसर्च

एक प्रचलित कहावत है- 'बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है।' लेकिन, एक ताजा शोध के मुताबिक बेटियां बुढ़ापे की खुशियां होती हैं। जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज में प्रकाशित पेपर 'हैप्पीनेस इन ओल्ड एजः द डॉटर कनेक्शन' के मुताबिक, खासकर एशियाई देशों में बेटे का जन्म लोगों को अपार खुशियां देता है, लेकिन माता-पिता को असली खुशी बेटियों के साथ रहकर ही मिलती है।

नया शोध मोनाश यूनिवर्सिटी मलेशिया के बिजनेस स्कूल के शोधकर्ताओं ने किया है। इस स्टडी के मुख्य शोधकर्ता और डेवलपमेंट इकोनॉमिक के प्रोफेसर एम. नियाज असदुल्लाह कहते हैं कि 2030 तक एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी बुजुर्ग आबादी होगी। तेजी से बूढ़े होते एशियाई समाजों में आमतौर पर माता-पिता बच्चों को बुढ़ापे के सहारे के तौर पर देखते हैं। उनसे बढ़ती उम्र के दौरान मदद की उम्मीद करते हैं। ऐसे में बुढ़ापे में खुशी और बच्चों के जेंडर के बीच संबंधों को जानने के लिए यह शोध किया। इसके नतीजे बताते हैं कि वृद्ध समाज में बेटियां माता-पिता के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती हैं। बेटियों के साथ रहने से चार तरीके से खुशी मिलती है। पहला, बेटियों के साथ रहने वाली माएं अच्छा महसूस करती हैं। उनमें यह विश्वास पैदा होता है कि उनकी सेहत लगातार सुधर रही है। दूसरा, लड़कों के साथ रहने वाले माता-पिता की तुलना में बेटियों के साथ रहने वाले माता-पिता कम अकेलापन महसूस करते हैं। तीसरा, बेटी के माता-पिता से अच्छे रिश्ते या बेटी की उच्च शिक्षा के मामले में उनका साथ माता-पिता को भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। उनकी चिंताएं कम करता हैं। चौथा यह कि बेटियों का साथ माता-पिता की आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है। असदुल्लाह कहते हैं कि हमारे निष्कर्षों में तेजी से बूढ़ी होती एशियाई इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार भी हैं। वे सुझाव देते हैं कि बच्चियों की शिक्षा में निवेश बढ़ाने से बुजुर्गों की भलाई जैसे दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं।

41 जानें बचाकर लौटे दिल्ली के जांबाज़

पिछले दिनों उत्तराखंड में 17 दिन से टनल के अंदर फंसे 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने वाली 12 लोगों की टीम में छह जांबाज वर्कर खजूरी खास की राजीव नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं।

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

1. मनीआर्डर द्वारा
2. ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण

SHANTI MISSION
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन :- 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादकः- मोहम्मद सालिम, फोनः- 23311455, 23317729, फैक्सः- 23316173